

41

वित्त संबंधी स्थायी समिति

(2021-22)

सत्रहर्वीं लोक सभा

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अनुदानों की मांगें

(2022-23)

इकतालीसवां प्रतिवेदन



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

इकतालीसवां प्रतिवेदन

वित्त संबंधी स्थायी समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2022-23)

२२.मार्च, 2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया ।

२२.मार्च, 2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया ।



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2022/ फाल्गुन, 1943 (शक)

विषय सूची

समिति की संरचना.....
प्राककथन.....

पृष्ठ सं.

(ii)
(v)

भाग-एक

एक.	प्रस्तावना	1
दो.	राजस्व मुख्यालय प्रशासन	2
तीन.	बजटीय आबंटन और उपयोग	3
चार.	माल एवं सेवा कर (जीएसटी)	14
पांच.	गत तीन वित्त वर्ष के दौरान कर संग्रह का विवरण	16
छह.	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में धन वापसी (रिफंड) की मात्रा	17
सात.	तलाशी, जब्तियों और सर्वेक्षणों की क्षेत्र-वार मात्रा	19
आठ.	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों की लंबित मात्रा	21
नौ.	कर आधार को विस्तृत करने के लिए किए गए प्रमुख उपाय	22
दस.	कर के लीकेज/वंचन को रोकने के लिए किए गए उपाय	24
ग्यारह.	कर बकाए, वसूली और लंबित कर की मात्रा	32
बारह.	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) में चूक	33
तेरह.	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए निर्धारित लक्ष्य	34
चौदहवां.	विवाद समाधान समिति	35

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें 36-41

अनुबंध

समिति की 14 मार्च, 2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश 52-53

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की संरचना

श्री जयंत सिन्हा

सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुखबीर सिंह बादल
4. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
5. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
6. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
7. श्रीमती सुनीता दुग्गल
8. श्री गौरव गोगोई
9. श्री सुधीर गुप्ता
10. श्री मनोज किशोरभाई कोटक
11. श्री पिनाकी मिश्रा
12. श्री रविशंकर प्रसाद
13. प्रो. सौगत राय
14. श्री पी.वी. मिधुन रेण्टी
15. श्री गोपाल शेट्टी
16. डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी
17. श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा
18. श्री मनीष तिवारी
19. श्री बालासुरी वल्लभनेनी
20. श्री राजेश वर्मा
21. रिक्त

राज्य सभा

22. श्री अहमद अशफाक करीम
23. श्री सुशील कुमार मोदी
24. श्री ए. नवनीतकृष्णन
25. श्री प्रफुल्ल पटेल
26. डॉ. अमर पटनायक
27. श्री महेश पोद्दार
28. श्री सी. एम. रमेश
29. श्री जी.एल.वी. नरसिंह राव
30. डॉ. मनमोहन सिंह
31. श्रीमती अंबिका सोनी

सचिवालय

- | | | |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1. श्री सिद्धार्थ महाजन | - | संयुक्त सचिव |
| 2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन | - | निदेशक |
| 3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा | - | अपर निदेशक |
| 4. श्री प्रीतम प्रभाकर | - | समिति अधिकारी |

(iii)

प्राककथन

मैं, वित्त संबंधी समिति का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगें (2022-23) विषयक, समिति के इकतालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन के नियमों के नियम 331ड़ के अंतर्गत योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23) दिनांक 09 फरवरी, 2022 को सभा पटल पर रखी गई थी।

3. समिति ने दिनांक 23 फरवरी, 2022 वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया। समिति योजना मंत्रालय के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगें (2022-23) की जांच के संबंध में वांछित सामग्री और सूचना उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद व्यक्त करती है।

4. समिति ने 14 मार्च, 2022 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

5. संदर्भ की सुविधा के लिए, समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली:
14 मार्च, 2022
23 फाल्गुन, 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति

(V)

प्रतिवेदन
भाग- एक
पृष्ठभूमि विश्लेषण

एक. प्रस्तावना

- 1.1 राजस्व विभाग, सचिव(राजस्व) के पूर्ण निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करता है । यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघीय करों से संबंधित मामलों के संबंध में अपने अधीनस्थ दो कानूनी बोर्डों नामतः केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के माध्यम से नियंत्रण करता है । प्रत्येक बोर्ड के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं जो कि भारत सरकार के पदेन विशेष सचिव भी होते हैं । केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सभी प्रत्यक्ष करों की उगाही करने और संग्रहण का कार्य किया जाता है, जबकि सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों की उगाही करने व संग्रहण से संबंधित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आता है । ये दोनों बोर्ड केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अंतर्गत गठित किए गए थे । प्रत्येक बोर्ड में 6 स्वीकृत सदस्य होते हैं।
- 1.2 राजस्व विभाग निम्नलिखित अधिनियमों को प्रशासित करता है-
- i. आयकर अधिनियम, 1961;
 - ii. काला धन (गुप्त विदेशी आय एवं संपत्ति) कर अधिनियम, 2015;
 - iii. बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988;
 - iv. वित्त (सं0 2) अधिनियम, 2004 (प्रतिभूति संव्यवहार कर लगाने से संबंधित) का अध्याय VII;
 - v. वित्त अधिनियम, 2005 (बैंकिंग नकद संव्यवहार कर से संबंधित) का अध्याय VII;
 - vi. वित्त अधिनियम, 1994 (सेवा कर से संबंधित) का अध्याय V;
 - vii. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 और संबंधित मामले;
 - viii. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और संबंधित मामले;
 - ix. केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956;
 - x. सीमा प्रशुल्क अधिनियम, 1975;
 - xi. केन्द्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम, 1985;
 - xii. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985;
 - xiii. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988;
 - xiv. तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्पर्क) अधिनियम, 1976;
 - xv. भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899(संघ के अधिकार क्षेत्र तक सीमित);
 - xvi. विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974;
 - xvii. धन शोधन निवारण अधिनियम (पी एम एल ए), 2002 ; और

- xviii. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 ;
- xix. संघ राज्य क्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017;
- xx. माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017;
- xxi. केन्द्रीय माल एवं सेवा कर, 2017;
- xxii. एकीकृत माल एवं सेवाकर, 2017
- 1.3 यह विभाग निम्नलिखित सम्बद्धअधीनस्थ/ कार्यालयों के माध्यम से उपर्युक्त अधिनियमों से संबंधित मामलों की देखभाल करता है:-
- i. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अधीन आयुक्तालयनिदेशालय/;
 - ii. केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधीन आयुक्तालयनिदेशालय/;
 - iii. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो;
 - iv. प्रवर्तन निदेशालय;
 - v. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो;
 - vi. मुख्य कारखाना नियंत्रक;
 - vii. सफेमा के अंतर्गत अपील अधिकरण;
 - viii. आयकर समझौता आयोग;
 - ix. सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग;
 - x. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण;
 - xi. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति; और
 - xii. स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 और तस्कर एवं विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी ;
 - xiii. भारत वित्त आसूचना एकक (एफ आई पू-इंड);
 - xiv. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण
 - xv. पुनरीक्षण आवेदन इकाई

दो. राजस्व मुख्यालय प्रशासन

राजस्व विभाग का मुख्यालय विभाग से सम्बंधित सभी प्रशासनिक कार्यों से संबंधित मामलों, दोनों बोर्ड (के.उ.शु. एवं सी.शु.बोर्ड तथा के.प्र. कर बोर्ड) के बीच समन्वय, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (संघ के क्षेत्राधिकार तक सीमित), केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956, माल एवं सेवा कर (जीएसटी) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (सम्पत्ति सम्पहरण) अधिनियम, 1976 (सफेमा)/(फोम) (अधिनियम), विदेशी मुद्रा प्रबन्ध अधिनियम, 1999 (फेमा) तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 का संरक्षण (काफेपोसा, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

(पीएमएलए) के प्रशासन तथा विभाग के निम्नलिखित सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के मामलों से सम्बंधित कार्य देखता है:-

- क. प्रवर्तन निदेशालय
- ख. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीबीईसी)
- ग. सफेम (फोम) क और एनडीपीएसए के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी
- घ. मुख्य कारखाना नियंत्रक
- ड. केन्द्रीय स्वापक ब्यूरो
- च. सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपील अधिकरण(सीस्टेट)
- छ. सफेम के अंतर्गत अपील अधिकरण
- ज. सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समझौता आयोग(सी सी ई एस सी)
- झ. सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति
- ज. भारत - वित्त आसूचना एकक (एफ आई पी-इंड)
- ट. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण
- ठ. राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान(एनआईपीएफपी)

मुख्यालय द्वारा निम्नलिखित मदों पर भी कार्य किया जाता है:-

निम्नलिखित की नियुक्ति:-

- ✓ केएवं.शु.उ. सीमा शुल्क बोर्ड तथा केकर.प्र. बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्य
 - ✓ सीस्टेट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य
 - ✓ सीतथा.शु. के.शु.उ. समझौता आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य
 - ✓ सीईआईबी का महानिदेशक
 - ✓ प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक
 - ✓ सक्षम प्राधिकारी (सफेम एफओपी) अधिनियम तथा एन डी पी एस अधिनियम
 - ✓ निदेशक (वित्त आसूचना एकक-भारत)
 - ✓ धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत न्याय निर्णयन प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य
 - ✓ सफेम (फोम) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत गठित अपील अधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य
 - ✓ सीवीओ, सीबीडीटईडी/सीबीईसी/
- तीन . बजटीय आबंटन और उपयोग**

3.1 वित्त मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों (2022-23) को 9 फरवरी, 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर विभाग की मांगों के राजस्व खंड और पूँजी खंड का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	मांग संख्या और नाम	राजस्व स्वीकृत	पंजी स्वीकृत	कुल
1.	35 – राजस्व विभाग	227548.22	4.30	227552.52
2.	36 – प्रत्यक्ष कर	8866.30	442.00	9308.80
3.	37 – अप्रत्यक्ष कर	39739.17	1400.00	41139.17

3.2 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए मांग संख्या 35, 36 और 37 के अंतर्गत बजटीय प्रावधानों का सारांश निम्नानुसार है:

अनुदानों की मांग संख्या - 35 - राजस्व विभाग (मुख्यालय)

राजस्व विभाग की अनुदान संख्या 35 (वित्त वर्ष 2019-20 और वित्त वर्ष 2020-21 में पूर्ववर्ती अनुदान संख्या 31 और वित्त वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या 33) में कोई केंद्रीय क्षेत्र या केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं नहीं हैं।

अनुदान संख्या 35 के तहत बजट प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के लिए और सचिवालय और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के स्थापना संबंधी व्यय के लिए है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से पिछले तीन वर्षों का वर्षावार आवंटन और उपयोग इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	31 मार्च तक व्यय	उपयोग किए गए संशोधित अनुमान का%	(+) बचत/(-)अधिक
2019-20	203466.73	243505.77	275429.93	113.11	(-)31924.16
2020-21	272250.83	272454.75	268877.95	98.69	(+)3576.80
2021-22	201512.64	209805.42	119408.42 (दिसंबर, 2021 तक व्यय)	--	--
2022-23	227552.52	--	--	--	--

स्पष्टीकरण:

वित्त वर्ष 2019-20

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजस्व विभाग की मांग संख्या 31 के तहत कुल बजट प्रावधान 203466.73 करोड़ रुपये था, जिसमें 8.73 करोड़ रुपये का पंजीगत व्यय शामिल था। राजस्व पक्ष में, अनुदान संख्या 31- राजस्व विभाग के तहत बजट का प्रमुख घटक, जीएसटी की शुरूआत पर राजस्व हानि के कारण राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करना था। राज्यों/ विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए 101200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया था। 101200.00 करोड़ रुपये की समान राशि जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अंतरित करने के लिए भी रखी गई थी। यह अनुमान राजस्व संग्रह के रुझान पर आधारित था। संशोधित अनुमान स्तर पर, मांग संख्या 31 के तहत बजट प्रावधान को संशोधित कर 243505.77 करोड़ रुपये कर दिया गया,

जिसमें राज्यों / विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए 20000 करोड़ रुपये और जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अंतरित करने के लिए 20000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजट प्रावधान शामिल है।

वित्त वर्ष 2019-20 में, मांग संख्या 31 के तहत अतिरिक्त व्यय किया गया है, क्योंकि केंद्र ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राज्यों को स्वीकार्य जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने के उद्देश्य से वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित आईजीएसटी बकाया को विभाजित करने की प्रक्रिया के भाग के रूप में, भारत की समोकित निधि (सीएफआई) से जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में 33412 करोड़ रुपये (शीर्ष 3601 के तहत 31697 करोड़ रुपये और शीर्ष 3602 के तहत 1715 करोड़ रुपये) हस्तांतरित किए थे। अतः इस वित्तीय वर्ष में वास्तविक व्यय 275429.93 करोड़ रुपए दर्शाया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 31924.16 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ।

वित्त वर्ष 2020-21

वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजस्व विभाग की मांग संख्या 31 के तहत कुल बजट प्रावधान 272250.83 करोड़ रुपये था। पूंजीगत व्यय कुल बजट अनुदान का एक छोटा सा हिस्सा है और यह 91.21 करोड़ रुपये है। राजस्व पक्ष पर, अनुदान संख्या 31- राजस्व विभाग के तहत बजट का मुख्य घटक, कर सुधारों की शुरूआत पर राजस्व हानि के कारण राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करना था। राज्यों/विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 135368.03 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया था। उपकर की 135368.03 करोड़ रु. की समान राशि को जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अंतरित करने के लिए भी रखा गया था। 272454.75 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान के मुकाबले खर्च केवल 268877.95 करोड़ रुपए था।

वित्त वर्ष 2021-22

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राजस्व विभाग की मांग संख्या 33 के तहत कुल बजट प्रावधान 201512.64 करोड़ रु. है जिसमें राजस्व विभाग का 13.02 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय तथा स्थापना संबंधी व्यय शामिल है। राजस्व पक्ष पर, राजस्व विभाग की मांग संख्या 33 के तहत बजट का मुख्य घटक- कर सुधारों पर राजस्व हानि के कारण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए है। राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर व्यय को पूरा करने के लिए वर्ष 2021-22 के लिए 100000 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया था। समान मूल्य का क्षतिपूर्ति उपकर (100000 करोड़ रुपये) जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण हेतु भी रखा गया था। यह अनुमान राजस्व के संग्रह के रुद्धान पर आधारित है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देय जीएसटी क्षतिपूर्ति की गणना अनंतिम रूप से द्विमासिक आधार पर की जाती है और यह सीएजी द्वारा यथा लेखा परीक्षित राजस्व आंकड़ों की प्राप्ति पर समायोजन के अध्यधीन है। दिसंबर, 2021 तक जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों/विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को 100000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 60302.80 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

तथापि, संशोधित अनुमान (आरई) के चरण पर बजट अनुमान वर्ष 2021-22 में 201512.64 करोड़ रुपये की तुलना में अब बजट प्रावधान को बढ़ाकर 209805.42 करोड़ रु. कर दिया गया है, जो मुख्यतः जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अंतरण के लिए 10795.47 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के प्रावधान के कारण हुआ है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करने के लिए 2502.69 करोड़ रुपये की राशि घटाई गई है। संशोधित अनुमान के तहत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरक के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

वित्त वर्ष 2022-23

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजस्व विभाग की मांग संख्या 35 के तहत प्रस्तावित कुल बजट प्रावधान 227552.52 करोड़ रुपये है। पूंजीगत व्यय कुल बजट अनुदान का एक छोटा सा भाग है और यह 4.30 करोड़ रुपये है। राजस्व पक्ष पर मुख्य प्रावधान निम्नानुसार प्रस्तावित हैं:-

अनुदान संख्या 35- राजस्व विभाग के तहत बजट का प्रमुख घटक कर सुधारों पर हुई राजस्व हानि के कारण राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी क्षतिपूर्ति प्रदान करना है। राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को क्षतिपूर्ति के भुगतान पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए वर्ष 2022-23 के लिए 106000.00 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान रखा गया है। यह अनुमान राज्यों के वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के उपकर/एजी प्रमाणित राजस्व आंकड़ों के संग्रह के रुझान पर आधारित है। क्षतिपूर्ति उपकर (120000.00 करोड़ रुपये) की राशि को जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में अंतरित करने का प्रस्ताव किया गया है।

राजस्व मुख्यालय और उसके सचिवालय तथा विभिन्न संबद्ध कार्यालयों [केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो; भारत की वित्तीय आसूचना इकाई; माल और सेवा कर परिषद सचिवालय; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी; प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीआईसी; सक्षम प्राधिकारी, कर नीति अनुसंधान इकाई, वेतन एवं लेखा कार्यालय (राजस्व)] के स्थापना संबंधी व्यय के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान 468.05 करोड़ रुपये की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 424.62 करोड़ रुपये के प्रावधान का अनुमान लगाया गया है। ढांचागत विकास के कारण, प्रवर्तन निदेशालय के लिए बजट अनुमान प्रावधान वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 311.49 करोड़ रुपये के बजट अनुमान और 308.72 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में 357.57 करोड़ रुपये तक बढ़ गया है। इसके अलावा, बजट अनुमान 2021-22 में मांग संख्या 35- राजस्व विभाग के तहत 264.44 करोड़ रुपये के प्रावधान की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिए जीएसटीएन को उपयोगकर्ता शुल्क के भुगतान के लिए 233.32 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है।

कुछ अन्य व्यय हैं जैसे राजस्व विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) को सहायता अनुदान (वेतन), अंतरराष्ट्रीय संगठनों जिसमें भारत एक सक्रिय भागीदार है, को योगदान और केंद्रीय स्वापक ब्यूरो, विशेष जांच दल (एसआईटी) और विभिन्न न्यायाधिकरणों (जब्त संपत्ति के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण; सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी), विभाग के तहत कार्य कर रहे धन शोधन निवारण अधिनियम (एए-पीएमएलए) के तहत न्यायाधिकरण प्राधिकरण का स्थापना संबंधी व्यय।

इस अनुदान के तहत अन्य प्रमुख व्यय सरकारी अफीम और क्षारोद कार्यों के संचालन के लिए है, जो घरेलू फार्मा कंपनियों द्वारा औषधीय उपयोग के लिए क्षारोद के आयात के लिए, निर्यात के लिए कच्ची अफीम के प्रसंस्करण, गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) और नीमच (मध्य प्रदेश) में दो कारखानों के माध्यम से अफीम क्षारोद के निर्माण और अन्य संबंधित कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 399.82 करोड़ रुपये (लगभग) का प्रावधान रखा गया है।

पूंजी क्षेत्र के अंतर्गत, मुख्य आवश्यकता प्रवर्तन निदेशालय के लिए तैयार निर्मित आवासों/फ्लैटों (3.00 करोड़ रुपये) के अधिग्रहण तथा सरकारी अफीम और एल्कोलॉइड कार्यों (1.28 करोड़ रुपये) के पूंजीगत व्यय के लिए है।

अनुदान की मांग संख्या - 36 - प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष करों में कोई केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ और केंद्र प्रायोजित योजनाएँ नहीं हैं। संपूर्ण बजट सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित वेतन/प्रशासनिक खर्चों के लिए है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से वर्षवार सारांश नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

वित्त वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	कुल खर्च (संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक)	उपयोगिता का %	(रुपया करोड़ में) बजट एवं खर्च में अंतर
2019-20	7338.44	7520.44	7182.72	95.51	337.22 करोड़ स.अ. से

2020-21	8065.39	7694.00	7403.07	96.22	662.32 करोड़ ब.अ.से (जैसाकि ब.अ स.अ से ज्यादा है।)
2021-22	8532.34	8508.89	5424.43 (दिसंबर 2021 तक)	63.75	-
2022-23	9308.80	-	-	-	-

स्पष्टीकरण:

2019-20

बजट अनुमान 7338.44 करोड़ रुपया को बढ़ाकर स.अ. स्तर पर 7343.44 करोड़ रुपया अर्थात् 5.00 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई थी। इसके अलावा, राजस्व अनुभाग के तहत, 'वेतन' शीर्ष के तहत आवंटन 4098.11 करोड़ से 4275.07 करोड़ रुपये से बढ़ाया गया था। अर्थात् 176.96 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई। इसलिए, अनुपूरक के बाद अनुदान के तहत कुल आवंटन को बढ़ाकर रु. 7520.44 करोड़ (राजस्व खंड के तहत 181.96 करोड़ नकद अनुपूरक + पूँजी खंड के तहत 0.04 करोड़ टोकन पूरक) किया गया। 31.03.2020 तक किया गया वास्तविक व्यय 7182.72 करोड़ रुपया (राजस्व खंड के तहत 6955.38 करोड़ रुपये और पूँजी खंड के तहत 227.34 करोड़ रुपये) हुआ। यह दर्शाता है कि स.अ. बजट का 95.51% संशोधित अनुमान के अनुसार उपयोग किया गया था। राजस्व अनुभाग के तहत उपयोग स.अ. का 96.36% था जबकि पूँजी अनुभाग के तहत यह 75.27% था। वित्तीय वर्ष 2019-20 में वापस की गई राशि 244.80 करोड़ रुपया थी।

2020-21

स.अ. स्तर पर 8065.39 करोड़ रुपये का बजट अनुमान घटाकर 7694.00 करोड़ रुपए अर्थात् 371.39 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई थी। राजस्व अनुभाग के तहत, 'वेतन' शीर्ष के तहत आवंटन को 4534.97 करोड़ रुपए से घटाकर 4445.03 करोड़ रुपये अर्थात् बजट अनुमान से 89.94 करोड़ रुपए की कमी कर दी गई। 31.03.2021 तक किया गया वास्तविक व्यय रु. 7403.07 करोड़ (राजस्व खंड के तहत 7229.93 करोड़ रुपये और पूँजी खंड के तहत 173.14 करोड़ रुपये) हुआ। यह दर्शाता है कि स.अ. के अनुसार बजट का 96.22% उपयोग किया गया था। राजस्व अनुभाग के तहत उपयोग स.अ. का 67.51% था जबकि पूँजी अनुभाग के लिए यह 22.50% था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में वापस की गई राशि 580.71 करोड़ रुपया थी।

2021-22

स.अ. स्तर पर बजट अनुमान 8532.34 करोड़ रुपए को घटाकर 850.89 करोड़ रुपए किया गया है अर्थात् 23.45 करोड़ रुपए की कमी की गई है। राजस्व अनुभाग के तहत 'वेतन' के तहत आवंटन को 4811.74 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5056.30 करोड़ रुपया अर्थात् बजट अनुमान से 244.56 करोड़ रुपए की वृद्धि कर दी गई है। 31.12.2021 तक किया गया वास्तविक व्यय रु. 5424.43 करोड़ (राजस्व खंड के तहत 5358.96 करोड़ रुपये और पूँजी खंड के तहत 65.47 करोड़ रुपये) है। यह दर्शाता है कि स.अ. के अनुसार दिसंबर, 2021 तक बजट का 63.75% उपयोग किया गया है। राजस्व अनुभाग योजना के तहत उपयोग स.अ. का 65.30% है, जबकि पूँजी अनुभाग के तहत उपयोग स.अ. का 21.68% है।

2022-23

बजट अनुमान 2022-23 9308.80 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है। जिसमें 8866.80 करोड़ रुपया राजस्व शीर्ष के अधीन है और 442.00 करोड़ रुपया पूँजी शीर्ष के अधीन है। राजस्व अनुभाग में, 'वेतन' के मद में 5546.00 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान लगाया गया है। जो राजस्व मद में मांगे गए 8866.80 करोड़ रुपये के कुल अनुदान का 62.55% है। स.अ. 2021-22 (5056.30 करोड़ रुपये) की तुलना में 9.68% की वृद्धि वेतन मद में वार्षिक वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते की किश्तों, अन्य भत्तों पर परिणामी प्रभाव, नई नियुक्तियों के कारण अधिकारियों/कर्मचारियों के पदों की प्रत्याशित फाइलिंग को समायोजित करने का प्रस्ताव किया गया है।

राजस्व पक्ष पर, शीर्षों के अधीन अन्य मुख्य व्यय जैसे 'मजदूरी', 'चिकित्सा उपचार', 'घरेलू यात्रा व्यय', 'कार्यालय व्यय (सामान्य)', 'किराया, दरें और कर', 'अन्य प्रशासनिक व्यय', 'विज्ञापन और प्रचार', 'लघु कार्य', 'पेशेवर सेवाएं', 'गुप्त सेवा व्यय', 'स्वच्छता कार्य योजना (ओई)' और 'सूचना प्रौद्योगिकी प्रत्याशित (ओई)' पर किये गए हैं। इन शीर्षों के अंतर्गत व्यय का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

- **मजदूरी:** मजदूरी के तहत अधिक खर्च की संभावना है क्योंकि श्रम कानून के तहत न्यूनतम मजदूरी में संशोधन है और इस शीर्ष के तहत 75.52 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जो कुल अनुदान का 0.85% है।
- **चिकित्सा उपचार:** कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 और संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होने के कारण स्वयं और परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए चिकित्सा दावे किए गए हैं। यह संभावना है कि कोविड रोगियों के मामले में कोविड उपचार, अनुवर्ती और मनोरोग परामर्श के परिणामस्वरूप, अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। नई एपीएआर प्रणाली के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों की अनिवार्य वार्षिक चिकित्सा जांच के प्रावधान के साथसाथ सामान्य मुद्रासंकीति की - प्रवृत्ति को भी ध्यान में रखा गया है, जिसके परिणामस्वरूप दवाओं, अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर परामर्श आदि जैसी सभी वस्तुओं की लागत में वृद्धि हुई है। यह मद 70.45 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो कुल अनुदान का 0.79% है। स.अ. 2021-22 (62.04 करोड़ रुपये की तुलना में (13.56% की वृद्धि हुई है।
- **घरेलू यात्रा व्यय:-** इस मद में 73.73 करोड़ रुपए व्यय होने का अनुमान है, जो कुल अनुदान का 0.83% है। स.अ. 2021-22 जो की तुलना में, करोड़ रुपए प्रस्तावित है 62.6717.65% की वृद्धि हुई है। अधिकारियों के स्थानांतरणतैनाती और दौरानों की आवश्यकता के कारण व्यय में वृद्धि का अनुमान - है। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव ऊटी पर तैनात अधिकारियों और अधिकारियों के यात्रा बिलों के अंतिम निपटान की संभावना है।
- **कार्यालय व्यय:-** इस मद में 1260.15 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है, जो कुल अनुदान का 14.21 प्रतिशत है। स.अ. 2021-22 जो की तुलना में, करोड़ रुपये प्रस्तावित है 1248.220.96% की वृद्धि हुई है। वर्ष के दौरान प्रमुख व्यय, सुविधा प्रबंधन सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं और परिचालन वाहनों के लिए भुगतान, आउटसोर्स कर्मचारियों को भुगतान, और इस वर्ष के दौरान किराए पर लिए गए निर्मित / सज्जा के कारण प्रतिबद्ध व्यय के कारण होने की उम्मीद है। -र्यालियों की साजनए का
- **किराया, दरें एवं कर-:** इस मद में अनुमानित व्यय 650.97 करोड़ रुपए है, जो कुल अनुदान का 7.34% है। स.अ. 2021-22 जो की तुलना में, करोड़ रुपये प्रस्तावित है 630.003.33% की वृद्धि हुई है। आईएफयू के अनुमोदनमंजूरी के लिए लंबित बीसीए के विभिन्न किराया प्रस्तावों में उनके बकाया / के साथ वर्तमान और स्थानीय करों के संशोधन के कारण व्यय में वृद्धि का अनुमान है।
- **अन्य प्रशासनिक व्यय:-** इस मद में 32.31 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है, जो कुल अनुदान का 0.36% है। स.अ. 2021-22 जो 21.26 करोड़ रुपये प्रस्तावित है की तुलना में, 51.98% की वृद्धि हुई है। प्रधान महानिदेशक आयकर और राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी (मानव संसाधन विभाग) जनों कार्यालय के विभिन्न प्रशिक्षण मॉड्यूल और आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के संभावित आयो के कारण भी व्यय में वृद्धि होने का अनुमान है।
- **विज्ञापन और प्रचार:** इस मद के तहत अनुमानित व्यय 75 करोड़ रुहै जो कुल अनुदान का 0.85% है। आरई 2021-22 में 50% तक की वृद्धि हुई है जो 50 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। कर संबंधी मामलों और आजादी का अमृत महोत्सव के लिए आयोजनों पर संभावित सरकारी नीति के कारण व्यय में वृद्धि का अनुमान है।
- **लघु कार्य-:** इस मद में अनुमानित व्यय 97.06 करोड़ रु है जो कुल अनुदान का 1.09% है। आरई 2021-22 में 17.56% तक की वृद्धि हुई है जो 82.56 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। व्यय में वृद्धि

मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति के कारण हुई है। कई सरकारी स्वामित्व वाली इमारतें आवासीय और अधिकारिक दोनों हैं, जिनकी मरम्मत की तल्काल आवश्यकता है। लिप्टों और कार्यालय तथा आवासीय भवनों के नियमित रखरखाव के लिए भी निधियों की आवश्यकता होती है। जैसा कि हाल ही - अनुमोदन प्राप्त हुए हैं में कई, संभावना है कि उन्हें वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही में पुनः सत्यापित किया जाएगा और अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होगी।

- **व्यावसायिक सेवाएं:-**: इस शीर्ष के अधीन 102.55 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जो कुल अनुदान का 1.16% है। आरई 2021-22 में 3.84% की वृद्धि हुई है जो 98.76 करोड़ रुपये पर प्रस्तावित है। डीटीआरटीआई के स्थायी काउंसेलों और अतिथि संकायों के लिए पैनल में रखे गए लेखापरीक्षकों के विशेष लेखा परीक्षा शुल्क और नियमित शुल्क की के लंबन को दूर करने के लिए विभागों के लिए स्थायी काउंसेलों के कानूनी शुल्क के विभिन्न लंबित बिलों के कारण व्यय में वृद्धि का अनुमान है।
- **गोपनीय सेवा व्यय:-**: इस मद में 35.00 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है, जो कुल अनुदान का 0.39% है। आरई 2021-22 में 16.67% की वृद्धि हुई है जो 30 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। जांच प्रभार संभालने वाले विभिन्न बीसीए से गोपनीय सेवाओं के खर्च के लिए कई मांगें प्राप्त हुई हैं। यह उम्मीद की जाती है कि खोज गतिविधियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक महत्वपूर्ण व्यय किया जाएगा।
- **स्वच्छता कार्य योजना :-:(ओई)** इस मद में 37.00 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जो कुल अनुदान का 0.42% है। आरई 2021-22 (22 करोड़ रुपये की तुलना में (68.18% की वृद्धि हुई है।
- **सूचना प्रौद्योगिकी : (ओई)** इस मद में 787.22 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जो कुल अनुदान का 8.88% है। आरई 2021-22 में 5.53% की वृद्धि हुई है जो 745.74 करोड़ रुपये प्रस्तावित है। पिछले कुछ वर्षों में सीबीडीटी द्वारा कई पहल की गई हैं। इसके अलावा विभाग ने इस वर्ष फेसलेस असेसमेंटआरईएसी अस्तित्व में आए हैं। /फेसलेस अपील प्रणाली शुरू की है और विभिन्न एनईएसी/ करदाताओं की सेवाओं में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हुआ है और शिकायतों को कम इन उपायों से करने के लिए करदाता और विभाग के बीच इंटरफेस में कमठी लाने के लिए निष्पक्षता आई है। एचआरएमएस के तहत प्रशासनिक कार्यों में भी काफी सुधार हुआ है। हालांकि, आरंभ करने प्रणाली के कार्यों में कुछ गड़बड़ियां पाई गई थीं के दौरान नई (रॉलआउट), अब तक हुआ व्यय कम रहा है क्योंकि यह सुनिश्चित किए जाने का प्रयास हो रहा है कि विभाग के हितों की रक्षा हेतु विक्रेताओं को भुगतान से पहले सुधारात्मक उपाय किए जाएं। बाद की अवधि के दौरान, व्यय में अच्छा विकास होने की संभावना है और इसे ध्यान में रखा गया है।

पूँजी पक्ष पर, 442.00 करोड़ रुपए के कुल प्रावधान में से 286.00 करोड़ रु. कार्यालय भवनों/आवास पर पूंजीगत परिव्यय के लिए है तथा अन्य 154.00 करोड़ रु. आवास पर पूंजीगत परिव्यय के लिए है।

पूँजीगत शीर्ष के तहत, संशोधन अनुमान 2021-21 (302.00 करोड़ रु.) पर 46.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मुख्य विशेषताएं:

(क) राजस्व अनुभाग

- i. 'वेतन' शीर्ष के तहत आबंटन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान में 4275.07 करोड़ रु. की राशि थी और वर्ष 2022-23 बजट अनुमान के लिए 5546.00 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। इस शीर्ष के तहत आबंटन में वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 तक 29.73 % की वृद्धि हुई है।

ii. 'मजदूरी' शीर्ष के तहत आबंटन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान में यह राशि 62.60 करोड़ रु. थी और वर्ष 2022-23 बजट अनुमान के लिए 75.52 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। इस शीर्ष के तहत आबंटन में वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 तक 20.64 % की वृद्धि हुई है।

iii. 'समयोपरि भत्ता' शीर्ष के तहत आबंटन में कमी हुई है। संशोधित अनुमान वर्ष 2019-20 में यह राशि 0.53 करोड़ रु. थी। बजट अनुमान 2021-22 में यह 0.25 करोड़ रुपए थी, संशोधित अनुमान वर्ष 2021-22 में 0.10 करोड़ रु. की राशि प्रस्तावित की गई थी तथा बजट अनुमान 2022-23 के लिए 0.25 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है। इस शीर्ष के तहत आबंटन में वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 तक 52.83 % की कमी हुई है।

iv. 'चिकित्सा-परिचर्चा' शीर्ष के तहत आबंटन में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान में यह राशि 47.94 करोड़ रु. थी और बजट अनुमान 2022-23 के लिए 70.45 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। इस शीर्ष के तहत आबंटन में वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 तक 46.95% की वृद्धि हुई है।

v. वित्त वर्ष 2019-20 में 'घरेलू यात्रा व्यय' शीर्ष के तहत आबंटन 90.45 करोड़ रुपए होने से 18.48% तक कम हुआ है। हालांकि बजट अनुमान 2022-23 में इसमें संशोधित अनुमान 2021-22 (केवल 62.67 करोड़ रु.) की तुलना में 17.65% (73.73 करोड़ रु.) की वृद्धि हुई है।

vi. वित्त वर्ष 2019-20 में 'विदेशी यात्रा व्यय' शीर्ष के तहत आबंटन में 1.48 करोड़ रुपए से 32.43 % की कमी हुई है। बजट अनुमान 2022-23 में इसमें संशोधित अनुमान 2021-22 (केवल 0.25 करोड़ रु.) की तुलना में 300% (1.00 करोड़ रु.) की वृद्धि हुई है।

vii. 'कार्यालय व्यय' शीर्ष के अधीन आबंटन लगातार बढ़ रहा है। संशोधन अनुमान में 2019-20 के लिए यह राशि 1225.92 करोड़ रु. थी तथा बजट अनुमान 2022-23 के लिए यह 1260.15 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 तक इस शीर्ष के अधीन यह आबंटन 2.79% तक बढ़ गया है।

viii. "किराया, दर तथा कर" शीर्ष के अधीन आबंटन लगातार बढ़ रहा है। 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान में यह राशि 484.43 करोड़ रु. थी तथा बजट अनुमान 2022-23 के लिए 650.97 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित थी। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 तक इस शीर्ष के अधीन आबंटन 34.38 % तक बढ़ गया है।

ix. 'प्रकाशन' शीर्ष के अधीन आबंटन घटा है; संशोधित अनुमान 2019-20 में यह राशि 3.62 करोड़ रु. तक प्रस्तावित की गई थी और बजट अनुमान 2021-22 के लिए यह 3.26 करोड़ रु. प्रस्तावित की गई है; बजट अनुमान 2022-23 के लिए यह 3.30 करोड़ रुपए तक प्रस्तावित की गई है जो संशोधित अनुमान 2019-20 से 8.84 प्रतिशत की संपूर्ण कमी दर्शाती है।

x. 'अन्य प्रशासनिक व्यय' शीर्ष के तहत आबंटन घट गया है। संशोधित अनुमान 2019-20 के लिए यह 49.56 करोड़ रु. (33.56 करोड़ रु. + 16.00 करोड़ रु. विभागीय कैंटीन के लिए) था। बजट अनुमान 2021-22 में यह 30.00 करोड़ रु. + 15.00 करोड़ रु. विभागीय कैंटीन के लिए जो कुल 45.00 करोड़ रु. हो गया। संशोधित अनुमान 2021-22 में (21.26 करोड़ + 15 करोड़ रु. विभागीय कैंटीन के लिए) जो 36.26 करोड़ रु. प्रस्तावित किया गया है तथा संशोधित अनुमान 2022-23 के लिए 32.31 करोड़ रु. + 15 करोड़ रु. विभागीय कैंटीन के लिए जो 47.31 करोड़ रु. हो गया। इसमें मामूली कमी आई है।

xi. 'विज्ञापन तथा प्रचार' शीर्ष के अधीन वित्त वर्ष 2019-20 में आबंटन 68.43 करोड़ रु. था तथा बजट अनुमान 2021-22 के लिए यह 75 करोड़ रु. था तथा संशोधित अनुमान 2021-22 के लिए यह 50 करोड़ रु. तक प्रस्तावित किया गया है। इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि निदेशालय (पीआर, पीजी) की मुख्य

परियोजना के लिए आईएफयू द्वारा वर्ष के दौरान 44.50 करोड़ रु. का आबंटन प्रस्तावित किया गया था। बजट अनुमान 2022-23 के लिए आबंटन 75 करोड़ रु. तक प्रस्तावित किया गया है, जो वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 8.84 प्रतिशत की वृद्धि है।

xii. वित्त वर्ष 2019-20 में 'लघु कार्य' शीर्ष के अधीन आबंटन 65.41 करोड़ रु. था और बजट अनुमान 2021-22 के लिए यह 85.56 करोड़ रु. था और संशोधित अनुमान 2021-22 के लिए यह 82.56 करोड़ रु. तक प्रस्तावित है। बजट अनुमान 2022-23 के लिए आबंटन 97.06 करोड़ रु. प्रस्तावित किया गया है जो वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 48.36 प्रतिशत की वृद्धि है।

xiii. वित्त वर्ष 2019-20 में "व्यावसायिक सेवाएं" शीर्ष के अंतर्गत आबंटन 94.65 करोड़ रु. था तथा बजट अनुमान 2021-22 के लिए यह 104.76 करोड़ रु. था तथा संशोधित अनुमान 2021-22 के लिए यह 98.76 करोड़ रु. तक प्रस्तावित किया गया है। बजट अनुमान 2022-23 के लिए आबंटन 102.55 करोड़ रु. प्रस्तावित किया गया है जो वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 8.35 प्रतिशत की वृद्धि है।

xiv. संशोधित अनुमान 2019-20 में "योगदान" शीर्ष के तहत आबंटन 1.15 करोड़ रु. था तथा बजट अनुमान 2022-23 में यह 0.25 करोड़ रु. प्रस्तावित है जो वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 78.26 प्रतिशत कम हो गया है तथापि संशोधित अनुमान 2021-22 से आबंटन में कोई बदलाव नहीं है।

xv. "गोपनीय सेवाएं व्यय" शीर्ष के अन्तर्गत आवंटन में लगातार वृद्धि हो रही है। संशोधित अनुमान 2019-2020 में यह राशि 28.34 करोड़ रुपए थी और बजट अनुमान 2022-23 में 35 करोड़ रुपए तक की राशि प्रस्तावित की गई है जैसा कि वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 तक इस शीर्ष के अन्तर्गत आवंटन में 23.50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

xvi. "अन्य प्रभार" शीर्ष के अन्तर्गत वित्त वर्ष 2019-20 में आवंटन 3.80 करोड़ रु. था तथा बजट अनुमान 2021-2022 के लिए यह 4.04 करोड़ रुपए था और संशोधित अनुमान 2021-22 के लिए वही समान राशि 4.04 करोड़ रुपए प्रस्तावित थी और बजट अनुमान 2022-23 के लिए भी समान आँकड़े ही रखे गए हैं। वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2022-23 तक इस शीर्ष के अन्तर्गत आवंटन में 6.32 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अतः संशोधित अनुमान 2021-22 से आवंटन में कोई परिवर्तन नहीं है।

xvii. "स्वच्छता कार्रवाई योजना" शीर्ष के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में आवंटन 26 करोड़ रुपया था तथा बजट अनुमान 2021-22 के लिए 36 करोड़ रुपए था तथा संशोधित अनुमान 2021-22 के लिए 22 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया गया है। बजट अनुमान 2022-23 के लिए 37 करोड़ रुपए आवंटन प्रस्तावित किया गया है जो वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 42.31 प्रतिशत की वृद्धि है।

xviii. "सुचना प्रौद्योगिकी (ओई)" शीर्ष के तहत वित्त वर्ष 2019-20 में आवंटन 689.02 करोड़ रुपए था तथा बजट अनुमान 2021-22 के लिए 920.64 करोड़ रुपए था तथा संशोधित अनुमान 2021-22 के लिए 750.44 करोड़ रु. आवंटन प्रस्तावित किया गया है। बजट अनुमान 2022-23 के लिए 787.22 करोड़ रुपए आवंटन प्रस्तावित किया गया है जो वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 14.25% की वृद्धि है।

(ख) पूँजी अनुभाग

"पूँजी अनुभाग" के तहत वित्त वर्ष 2020-21 तथा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान परियोजनाओं के पूरे होने की गति धीमी थी। कोविड-19 के कारण कई योजनाएँ विलंबित हुई हैं। पूँजी खंड के तहत आवंटित निधि का कुछ हिस्सा वित्त वर्ष 2019-20 तथा वित्त वर्ष 2020-21 में प्रत्यर्पित कर दिया गया। तथापि, यह उम्मीद की जाती है कि आने वाला वर्ष एक सामान्य वर्ष हो सकता है अतः इसे देखते हुए, बजट अनुमान 2022-23 में वृद्धि की गई है।

अनुदान की मांग संख्या -37-अप्रत्यक्ष कर

अनुदान संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर (वित्त वर्ष 2021-22 में तत्कालीन अनुदान संख्या 35) इस अनुदान के तहत प्रावधान सीबीआईसी (केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं और सीमा शुल्क बोर्ड) के क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए स्थापना संबंधी व्यय से संबंधित व्यय और निर्यात उत्पादों (आरओडीटीइपी) और विभिन्न अन्य स्किप आधारित योजनाओं पर शुल्क और करों की छूट के प्रावधान के लिए है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से पिछले 3 वर्षों का वर्ष-वार आवंटन और उपयोग इस प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

वित्तीय वर्ष	बजट प्राक्कलन	संशोधित प्राक्कलन	कुल व्यय (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31/3 तक)	संशोधन प्राक्कलन का उपयोग में %	वापस की गई राशि
2019-20	7900.50	7900.50	7535.26	95.38	110.78
2020-21	8258.50	7582.47	7384.21	97.39	762.11
2021-22	21359.27	74938.99	5940.98 दिसंबर, 2021 तक	--	--
2022-23	41139.17				

स्पष्टीकरण

वित्तीय वर्ष 2019-20

बजट प्राक्कलन 2019-20 और संशोधित बजट प्राक्कलन 2019-20 7900.50 करोड़ रुपये था (राजस्व खंड के तहत: 7493.65 करोड़ रुपये, पूंजीगत खंड के तहत 406.85 करोड़ रुपये)।

दिनांक 31.03.2020 तक कुल व्यय 7535.26 करोड़ रुपये [राजस्व खण्डे के तहत 7259.81 करोड़ रु + पूंजीगत खण्डे के तहत 275.45 करोड़ रु.] यह दर्शाता है कि संशोधित प्राक्कलन के अनुसार बजट का 95.38% मार्च, 2020 तक उपयोग किया गया था। राजस्व खण्डर के तहत उपयोग राजस्व खंड के तहत संशोधित प्राक्कलन का 96.88% था जबकि पूंजीगत खण्डम के तहत यह पूंजीगत खण्ड। के तहत संशोधित प्राक्कलन का 67.70% था।

वित्त वर्ष 2020-21

2020-21 में बजट प्राक्कलन 8258.50 करोड़ रुपये [राजस्व खण्डग के तहत: 7820.50 करोड़ रुपये और पूंजीगत खण्डा के तहत: 438.00 करोड़ रुपये] से घटाकर संशोधित प्राक्कलन 2020-21 में 7582.47 करोड़ रुपये कर दिया गया [राजस्व खण्ड0 7304.47 करोड़ रुपये + पूंजीगत खण्डक 278.00 करोड़ रुपये]। राजस्व व्यय के तहत मुख्य रूप से कटौती पुरस्कार, घरेलू यात्रा व्यय, अन्य प्रशासनिक व्यय और विज्ञापन और प्रचार के तहत थी। पूंजी शीर्षों के तहत, कमी मुख्य रूप से तस्करी विरोधी उपकरणों के अधिग्रहण और कार्यालय और आवासीय भवनों के लिए प्रावधान के तहत थी।

31.03.2021 तक कुल व्यय 7384.21 करोड़ रुपये [राजस्व खंड के तहत 7168.11 करोड़ रुपये और पूंजीगत खंड के तहत 216.10 करोड़ रुपये] था, जो दर्शाता है कि संशोधित प्राक्कलन के अनुसार बजट का 97.39%

मार्च, 2021 तक उपयोग किया गया था। राजस्व खंड के तहत राजस्व खंड संशोधित प्राक्कलन का 98.13% था जबकि पूँजीगत खंड के तहत यह पूँजीगत खंड के तहत संशोधित प्राक्कलन का 77.73% था।

वित्तीय वर्ष 2021-22 (31.12.2021 तक)

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आरओडीटीईपी योजना के लिए 13000 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया था। इस प्रावधान के कारण, वित्त वर्ष 2020-21 के 8258.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से 2021-22 के बजट प्राक्कलन को बढ़ाकर 21359.27 करोड़ रुपये कर दिया गया।

2021-22 में बजट प्राक्कलन 21359.27 करोड़ रुपए से बढ़ा दिया गया है [राजस्व अनुभाग के तहत: 20907.27 करोड़ रुपए (आरओडीटीईपी योजना के लिए 13000 करोड़ रुपए और स्पापना संबंधी व्यय के लिए 7907.27 करोड़ रुपए) + पूँजी अनुभाग के तहत: 452.00 रुपए करोड़] से 74938.99 करोड़ रुपये (राजस्व खंड 73960.99 करोड़ रुपये (आरओडीटीईपी और अन्य विभिन्न स्क्रिप्ट आधारित योजनाओं के लिए 66122.63 करोड़ रुपये और स्पापना से संबंधित व्यय के लिए 7838.36 करोड़ रुपये) + पूँजी खंड 978.00 करोड़ रुपये)। प्रमुख वृद्धि मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, आरआरटी, एमएच 4059 (सार्वजनिक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय) और एमएच 4216 (आवास पर पूँजीगत परिव्यय) और आरओडीटीईपी + अन्य स्क्रिप्ट-आधारित योजनाओं के तहत है। विभिन्न स्क्रिप्ट आधारित योजनाओं के प्रावधान का विवरण अनुबंध । & ॥ के रूप में संलग्न है।

पूँजी खंड के तहत बजट प्राक्कलन 2021-22 452.00 करोड़ रुपये था, जो चल रही परियोजनाओं में धन की अधिक आवश्यकता और कार्यालय-सह आवास के लिए भूमि की खरीद के लिए नई आवश्यकता के कारण बढ़ाकर 978.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इस प्रकार, पूँजी खंड के तहत आवंटन में बजट प्राक्कलन 2021-22 (452.00 करोड़ रुपये) की तुलना में 209.73% की वृद्धि हुई है।

31.12.2021 तक कुल व्यय 5940.98 करोड़ रुपए [राजस्व खंड के तहत 5720.74 करोड़ रुपए + पूँजी खंड के तहत 220.24 करोड़ रुपए] यह दर्शाता है कि संशोधित अनुमान के अनुसार दिसंबर, 2021 तक बजट का 7.93% उपयोग किया गया है। राजस्व खंड के तहत आरई का 7.73% है, जबकि कैपिटल सेक्षन के तहत, आरई का 22.52% है।

आरई 2021-22 में आरओडीटीईपी और विभिन्न स्क्रिप्ट-आधारित योजनाओं के लिए बजट को 13,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 66,122.63 करोड़ रुपये करने के कारण राजस्व खंड में व्यय कम है। आरओडीटीईपी और विभिन्न अन्य स्क्रिप्ट-आधारित योजनाओं के लिए अब तक कोई व्यय दर्ज नहीं किया गया है। हालांकि, विभिन्न योजनाओं में स्क्रिप्ट जारी किए जा रहे हैं और चालू वित्तीय वर्ष में जल्द ही व्यय बुक किए जाने की संभावना है।

वित्तीय वर्ष 2022-23

बजट प्राक्कलन 2022-23 में 41139.17 करोड़ रुपए का बजट (राजस्व खंड के तहत 39739.17 करोड़ रुपए और पूँजीगत खंड के तहत 1400.00 करोड़ रुपए) जिसमें आरओडीटीईपी और विभिन्न स्क्रिप्ट आधारित योजनाओं के लिए 31190.31 रुपए का बजट शामिल है।

आरओडीटीईपी+ अन्य स्क्रिप्ट आधारित योजनाओं के छोड़ कर कुल ब.प्रा. 2022-23 में 9948.68 करोड़ रुपए प्रदान की गई है। राजस्व पक्ष में, वतन भोगियों पर व्यय (6216.35 करोड़ रुपए) कुल 41139.17 करोड़ रुपये के अनुदान का 15.11% होने का अनुमान है। वेतन शीर्ष में पिछले वित्त वर्ष 2021-22 (5651.23 करोड़ रुपए) के संशोधित प्राक्कलन से 10.00 प्रतिशत की वृद्धि वार्षिक वतन वृद्धि, महांगाई भत्ते की किश्तों को समायोजित करने, सीबीआईसी में नए पदों को भरने के लिए है। राजस्व पक्ष पर वेतन के अलावा अन्य प्रमुख व्यय पांच मुख्य शीषों अर्थात् आरओडीटीईपी+ अन्य स्क्रिप्ट आधारित योजनाएं, कार्यालय व्यय, सूचना प्रौद्योगिकी, किराया दरें और कर और घरेलू यात्रा व्यय के तहत 33033.94 करोड़ रुपए हैं। जो कुल "राजस्व खंड" (39739.17 करोड़

रुपये) का 83.13% है। इन शीर्षों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है-

(क) आरओडीटीपी+अन्य स्क्रिप्ट आधारित योजनाएँ: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्राक्कलन 31190.31 करोड़ रुपए है जो वित्त वर्ष 2021-22 में इन योजनाओं के आरई (66122.63 करोड़ रुपए) की तुलना में 52.83% कम है (जैसा कि अनुबंध I & II में वर्णित है।)

(ख) कार्यालय व्यय: कार्यालय व्यय के तहत व्यय 735.50 करोड़ रुपए होने का अनुमान है, जो कुल अनुदान (41139.17 करोड़) का 1.76% है। मुद्रास्फीति पर विचार करने के बाद संशोधित प्राक्कलन 2021-22 (666.50 करोड़ रुपए) से अधिक व्यय में 8.55% की वृद्धि नाममात्र है।

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी: 'सूचना प्रौद्योगिकी' के तहत अनुमानित व्यय 570.00 करोड़ रुपए है, जो कुल अनुदान (41139.17 करोड़) का 1.39 है। स.प्रा. 2021-22 (₹.570 करोड़) में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

(घ) किराया दरों और कर: इस शीर्ष के तहत व्यय 460.13 करोड़ रुपए होने का अनुमान है जो कुल अनुदान (411139.17 करोड़) का 1.12% है। 'किराया दरों और करों' में वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित प्राक्कलन (449.50 करोड़ रुपए) की तुलना में 2.36% की वृद्धि हुई है।

इस उद्देश्य के तहत ब.अ. 2022-23 में प्रस्तावित फंड लंबित देयता के प्रति प्रतिबंधता व्यय के लिए है जैसे स्थानीय नगर प्राधिकरणों को देय सेवा प्रभार शुल्क, माल और सेवा कर संरचनाओं के लिए किराए पर लिए गए नए कार्यालय स्थानों के लिए किराए और आवधिक किराया संशोधन का भुगतान साथ ही विभिन्न सीबीआईसी किराए के परिसर का नियमित किराया।

(ङ) घरेलू यात्रा व्यय: इस मद के तहत व्यय 90.00 करोड़ रुपए का अनुमान है जो कुल अनुदान (41139.17 करोड़) का 0.22% है। घरेलू यात्रा व्यय में वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान (80.00 करोड़) की तुलना में 12.50 की वृद्धि इस तथ्य के कारण है कि कोविड-19 के प्रसार के बाद यह उम्मीद की जाती है कि अधिक यात्राएं किए जाएंगी।

(च) पूँजीगत शीर्ष के तहत, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्राक्कलन 1400.00 करोड़ है जो कि संशोधित प्राक्कलन 2021-22 (978.00 करोड़ रुपए) की तुलना 43.15% अधिक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 200.00 करोड़ रुपए की राशि की एक बड़ा हिस्सा तस्करी विरोधी उपकरण/समुद्री बेड़े के अधिग्रहण के लिए है, जबकि 789.00 करोड़ रुपए कार्यालय आवास के अधिग्रहण के लिए आवंटित किए गए हैं।

चार. माल एवं सेवा कर (जीएसटी)

4.1 देश में माल एवं सेवा कर व्यवस्था को शुरू करना भारत के अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में होने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। बड़ी संख्या में केंद्रीय एवं राज्यीय करों को एकल कर में बदलने का लक्ष्य प्रमुख तौर पर कैसेकेडिंग को दूर करने या दोहरे कराधान को दूर करने तथा समान राष्ट्रीय बाजार हेतु मार्ग प्रशस्त करना था। देश में जीएसटी व्यवस्था को शुरू करने से पहले राज्य वित्त मंत्रालयों की अधिकार प्राप्त समिति, राज्य सभा की प्रवर समिति और संसदीय वित्त स्थायी समिति द्वारा मामले पर विस्तार से चर्चा की गई। लंबी और विस्तृत चर्चा के उपरांत, संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम को 50 प्रतिशत राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के बाद राष्ट्रपति द्वारा 08 सितंबर, 2016 को सहमति प्राप्त हुई। तत्पश्चात् केंद्रीय माल एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, एकीकृत माल एवं सेवाकर (आईजीएसटी) अधिनियम, संघ राज्य केंद्रीय माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम और माल एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम को अधिनियमित किया गया ताकि जीएसटी व्यवस्था को 01 जुलाई, 2017 से सफलतापूर्वक शुरू किया जा सके।

4.2 संघ राज्यक्षेत्रीय माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी):-

जिस प्रकार राज्य माल एवं सेवा कर (एसजीएसटी) अधिनियम जिसे संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा विधायी के साथ अधिनियमित किया गया है ताकि संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अन्दर के सभी लेन-देनों पर कर की उगाही और संग्रहण किया जा सके उसी प्रकार संघ राज्य क्षेत्रीय माल एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) अधिनियम, 2017 को विशिष्ट रूप से गैर विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों जैसे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में अधिनियमित किया गया ताकि जीएसटी की उगाही एवं संग्रहण किया जा सके।

यह पूछे जाने पर कि जीएसटी संग्रह के लिए सख्त प्रवर्तन उपायों के लिए कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार को कितना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, सचिव, राजस्व विभाग ने समिति के समक्ष इस प्रकार कहा :

“हमारे पास आपको बताने के लिए कोई सांख्यिकीय विश्लेषण नहीं है कि क्या होगा, लेकिन तथ्य यह है कि हम सभी ने देखा है कि लॉकडाउन के साथ अर्थव्यवस्था धीमी हो गई थी। जीडीपी ग्रोथ पिछले साल में ही कम हो गई थी, जो अब अच्छी तरह से बढ़ रही है। यह निश्चित रूप से एक कारण है, लेकिन यह भी कारण है कि हमने एक तरफ अपने प्रवर्तन कार्य में वृद्धि की है हमने नीतिगत मोर्चे और अन्य क्षेत्रों दोनों में एक बड़ी संख्या में मदों पर जो सुधार किए हैं, उनसे हमें कर बढ़ाने में भी मदद मिली है। पंजीकरण की प्रक्रिया में ही हमने आधार को अनिवार्य कर दिया है..... क्या भी प्रौद्योगिकी के उपयोग ने हमारी मदद की है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कि हम घास के ढेर में सुई का पता लगाने की कोशिश करने के बजाय घास के ढेर में सुई को खोजने में सक्षम नहीं हैं, और यही वह है जो मदद कर रहा है।”

4.3 विभिन्न राज्यों द्वारा अलग-अलग हुए / रिपोर्ट किए गए राजस्व हानि की राशि और भुगतान किए गए मुआवजे की सीमा।

जीएसटी (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 7 के अनुसार, राज्यों को जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए कुछ लक्जरी वस्तुओं और उक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन खराब माल पर लगाए जा रहे जीएसटी मुआवजा उपकर की आय से मुआवजा दिया जाना आवश्यक है। जीएसटी (राज्य को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 10(1) के प्रावधानों के अनुसार, जीएसटी मुआवजा उपकर को भारत के सार्वजनिक खाते में जीएसटी मुआवजा कोष के रूप में प्रचलित कर गैर-व्ययगत निधि में जमा किया गया है। उक्त अधिनियम, 2017 की धारा 10(2) में यह प्रावधान है कि जीएसटी मुआवजे का भुगतान मुआवजा कोष से किया जाएगा।

तदनुसार, रसद द्विमासिक जीएसटी मुआवजा जो उस वर्ष के संरक्षित राजस्व के संबंध में किसी विशेष वर्ष के लिए राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के राजस्व में कमी के बराबर है (2015-16 के आधार वर्ष के राजस्व पर 14% मिश्रित वृद्धि दर के साथ परिकलित) की गणना की जा रही है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की जा रही है जोकि 01.07.2017 से प्रभावी है। राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किए गए अनंतिम जीएसटी मुआवजे का विवरण 01.07.2017 से प्रभावी अनुबंध-1 के अनुसार है। वित्त वर्ष 2020-21

और वित्त वर्ष 2021-22 (जनवरी तक) के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लंबित अनंतिम जीएसटी मुआवजे का विवरण अनुबंध-॥के अनुसार है।

पांच. गत तीन वित्त वर्षों (वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित) के दौरान विभिन्न शीर्षों और स्लैबों के लिए किए गए कुल कर संग्रह के बारे में विवरण:

प्रत्यक्ष कर:		2019-20 [®]	2020-21 [®]	2021-22 [#] (15.02.2022 से)
क.	आयकर	480279.48	470216.72	527875.44
ख.	निगम कर ¹	556875.55	457718.97	567260.63
ग.	प्रतिभूति लेन देन कर (एस.टी.टी.)	12374.23	16926.99	21230.55
घ.	लाभांश वितरण कर (डी.डी.टी.)*	60391.30	13035.3	7076.70
ड.	संपत्ति कर	19.81	11.85	7.40
च.	उपहार कर	0	0	0
छ.	पूंजी लाभ कर ²	-	-	-

स्रोत: @प्राप्ति बजट

अनंतिम प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी

*ओएलटीएएस

नोट 1: प्राप्ति बजट के अनुसार निगम कर के आंकड़ों में लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के संग्रह के आंकड़े शामिल हैं।

नोट 2: पूंजीगत लाभ कर के संबंध में किसी भी चालान के लिए कोई लघु शीर्ष नहीं रखा जाता है, इसलिए इस संबंध में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।

(रुपए करोड़ में)

अप्रत्यक्ष कर:		2019-20	2020-21	2021-22 [अप्रैल- जनवरी] [पी]
क.	सीमा शुल्क	109,283	134,750	167,821
ख.	केंद्रीय उत्पाद शुल्क	239,452	389,667	333,174
ग.	एस.टी. (बकाया)	6,029	1,615	656
	कुल (गैर-जीएसटी)	354,764	526,032	501,651
घ.	सीजीएसटी	494,071	456,334	479,725
	आईजीएसटी	9,125	7,251	7,797
	जीएसटी-क्षतिपूर्ति उपकर	95,553	85,192	85,411
	कुल (जीएसटी)	598,749	548,777	572,933
	कुलयोग [जीएसटी+गैर-जीएसटी]	953,513	1,074,810	1,074,584

- स्रोत: प्राप्ति बजट, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (सीबीआईसी); [पी]: अनंतिम। पूर्णांकन के कारण योग भिन्न हो सकते हैं।
- उपरोक्त तालिका के कर आंकड़ों में तलाशी और जब्ती से वसूली भी शामिल है

अन्य		2019-20	2020-21	(रुपए करोड़ में) 2021-22
(क)	स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) + स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस) से कर	5,13,375.80	5,24,300.90	6,17,379.60
(ख)	(बी) अग्रिम कर	4,63,889.70	4,95,152.40	4,74,749.20
(ग)	स्रोत पर एकत्रित कर (टीसीएस)	क्रमांक सं (ए) पर टीडीएस के साथ प्रदान किया गया।		
(घ)	संवीक्षा निर्धारण से कर	36231.50	15,167.40	27311.10
(ङ)	अन्य निर्धारणों से कर, यदि कोई हो	3478.00	3,288.90	3170.50
(च)	तलाशी और जब्ती से कर	490.30	309.00	938.30
(छ)	क्षमादान योजनाओं से कर	59.80	6.80	29.3

नोट:

- क्षमादान योजनाओं के कर में आय घोषणा योजना, 2016 [लघु शीर्ष 111], काला धन अधिनियम, 2015 [मामूली शीर्ष 108/109] और पीएमजीकेवाई [मामूली शीर्ष 112] शामिल हैं।
- उपरोक्त सभी आंकड़े सकल कर संग्रह के आंकड़े हैं।

स्लैब-वार आयकर एकत्र किया गया और विभिन्न शीर्षों के तहत निर्धारितियों की संख्या

स्लैब (लाख रु.में)	वेतन	गृह संपत्ति	अविभाजित हिंदू परिवार	कारोबार	पेशा	प्रकल्पित कर
0-3						
3-5						
5-10						
10-20						
20-50						
50-100						
100 से ऊपर						

विवरण अनुबंध VI के रूप में संलग्न हैं

छह. गत तीन वित्त वर्षों (चालू वित्त वर्ष सहित) के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में अलग-अलग की गई धन वापसी की मात्रा।

वर्तमान वित्तीय वर्ष सहित पिछले 3 वित्तीय वर्ष के लिए धन वापसी के आंकड़े:

प्रत्यक्ष कर:

वित्तीय वर्ष	(रुपये करोड़ में) वापसी राशि
2019-20	183619.00
2020-21	259719.70
2021-22	167598.60

* दिनांक 16.02.2022 को तैयार की गई रिपोर्ट

अप्रत्यक्ष कर:

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वापसी राशि
2019-20	1,40,357
2020-21	1,28,299
2021-22[अप्रैल-जनवरी] [पी]	1,42,463

स्रोत: प्राप्ति बजट, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआरसीसीए) (सीबीआईसी); [पी]: अनंतिम

नोट: धन-वापसी के आंकड़ों में भुगतान किया गया ब्याज भी शामिल है।

माननीय सदस्यों में से एक की टिप्पणी कि “कई वर्षों से हमने देखा है कि प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों दोनों में रिफंड की राशि बढ़ती रहती है। यह बजट में दर्शाए गए बजट अनुमान (बीई) चरण में राजस्व के पूरे आंकड़े को विकृत करता है क्योंकि रिफंड हमेशा उसके बाद हो रहा होता है। अब जब हम इतने प्रौद्योगिकी संचालित हैं, क्या कोई तंत्र हो सकता है कि हम वास्तव में संशोधित अनुमान (आरई) चरण में राजस्व के बेहतर आंकड़े पर पहुंच सकते हैं, जब हम बजट के लिए जा रहे होते हैं? या रिफंड का उपयोग केवल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है जैसा कि पहले हुआ करता था?” पर

सचिव, राजस्व विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया :

2019-20 में प्रत्यक्ष कर वापसी लगभग 1,83,619 करोड़ रुपये थी, जो 2020-21 में 2,60,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई, और 2021-22 में 16 फरवरी तक यह 1,67,000 करोड़ रुपये से अधिक है। आज की तारीख में यह लगभग 1,72,000 करोड़ रुपये होगी। महोदय, मैं बहुत इमानदारी से स्वीकार करूँगा कि शायद विभाग में रिफंड में कोई समस्या थी लेकिन मैं कह सकता हूँ कि अप्रत्यक्ष करों में अब तक रिफंड 1,42,463 करोड़ रुपये रहा है, जो फिर से बढ़ रहा है। पिछले साल यह 1,28,299 करोड़ रुपये था, 2019-20 में यह 1,40,000 करोड़ रुपये और 2018-19 में 1,22,000 करोड़ रुपये था। अतः प्रत्यक्ष करों के संबंध में मैं यह कह सकता हूँ कि माननीय सदस्यों द्वारा जो उल्लेख किया जा रहा था, कि विभाग द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, शायद अतीत में सच था, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि पिछले वर्ष में भी..... विभाग को एक स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि रिफंड को रोका नहीं जाना चाहिए। पूरा विचार यह था कि जिन लोगों को यह देय है, उनके पास भेजे जाने के लिए आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इससे अर्थव्यवस्था के ऊपर जाने में भी मदद मिलेगी। इस साल भी ऐसे ही निर्देश दिए गए हैं। इस साल, वास्तव में, मैं हर हफ्ते खुद समीक्षा कर रहा हूँ।..... कि रिफंड हर हफ्ते कैसे आगे बढ़ रहा है”

सात. गत तीन वित्त वर्षों (चालू वित्त वर्ष सहित) के दौरान की गई खोजों, जब्तियों और सर्वेक्षणों की क्षेत्र-वार मात्रा

प्रत्यक्ष कर:

i. आयकर विभाग क्षेत्रों में विविध व्यावसायिक गतिविधियों में लगी कंपनियों सहित व्यक्तियों के मामलों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (दिसंबर, 2021 तक) सहित पिछले तीन वित्तीय वर्षों की तलाशी और जब्ती कार्रवाई के संबंध में आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	खोजे गए समूहों की संख्या	जब्त की गई नकदी (रुपए करोड़ में)	जब्त आभूषण (रुपए करोड़ में)	अन्य आस्तियां (रुपए करोड़ में)	कुल जब्ती (रुपए करोड़ में)
1	2019-20*	984	850.05	364.29	75.13	1289.47
2	2020-21 *	569	676.51	185.73	18.59	880.83
3	2021-22* (दिसंबर 2021 तक)	424	503.85	205.64	19.83	729.32

*आंकड़े अनंतिम हैं।

ii. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133क के तहत सर्वेक्षण प्रवर्तन का एक साधन है जो प्रासंगिक कर प्रावधानों के साथ किसी निर्धारिती के अनुपालन को सत्यापित करने, आवश्यक रोक लगाने और स्वैच्छिक अनुपालन के माहौल के निर्माण के लिए आयकर विभाग के पास उपलब्ध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष (दिसंबर, 2021 तक) सहित पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए सर्वेक्षण कार्यों के संबंध में आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	सर्वेक्षणों की संख्या
1	20-2019	12720
2	21-2020	426
3	*22-2021	623

*दिसंबर, 2021 तक।

आंकड़े अनंतिम हैं।

iii. आगे यह भी उल्लिखित है कि तलाशी और जब्ती और सर्वेक्षण का क्षेत्रवार विवरण अलग से नहीं रखा जाता है।

iv. वास्तविक और अंतिम कर वसूली के विवरण के संबंध में, यह उल्लिखित है कि आयकर विभाग बेहिसाब धन की निगरानी और कर चोरी को रोकने के लिए कई दंडात्मक और निवारक कदम उठाता है। इनमें रिटर्न की जांच, सर्वेक्षण, तलाशी और जब्ती कार्रवाई, जुर्माना लगाना और उपयुक्त मामलों में अभियोजन शुरू करना शामिल है। आयकर अधिनियम के तहत, जांच किसी आकलन/पुनर्मूल्यांकन में परिणत होती है, जो तब अपील की विषय-वस्तु हो जाता है। निरपवाद रूप से, कई मामलों में, केस के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर निर्धारिती/विभाग या दोनों द्वारा अपीलों को प्राथमिकता दी जाती है। अपीलें अक्सर उच्च न्यायालय/सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं। जांच के परिणाम तभी जाने जा सकते हैं जब अपील आदि को अंतिम रूप दिया जाता है और मामला अपीलीय पदानुक्रम में आगे नहीं बढ़ता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, की गई तलाशी कार्रवाइयों से कर की वसूली को तब तक निर्धारित नहीं किया जा सकता जब तक कि सभी अर्ध-न्यायिक और न्यायिक कार्रवाही को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है।

अप्रत्यक्ष कर :

अपराध के मामलों में तलाशी के आधार पर दर्ज मामले और किसी अन्य माध्यम से दर्ज मामले शामिल हैं:

जीएसटी संबंधी अपराध के मामलों की कुल संख्या				
अवधि : 2019-20 to 2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)				
अवधि	मामलों की संख्या	पाए गए	वसूली	गिरफ्तारी की संख्या
		(करोड़ रुपये में)	(करोड़ रुपये में)	
2019-20	10,657	40,853.27	18,464.07	231
2020-21	12,596	49,383.96	12,235.00	460
2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)	7,728	45,442.76	13,064.88	234
कुल	30,981	1,35,679.99	43,763.95	925

सीमा शुल्क अपराध मामलों की कुल संख्या				
अवधि: 2019-20 to 2021-22 (दिसम्बर 2021 तक)				
अवधि	जब्ति के मामलों की सं.	पता लगाए गए मामलों की सं.	वसूली	गिरफ्तारी की सं.
		(करोड़ रु. में)	(करोड़ रु. में)	
2018-19	22,775	9,064.85	3,455.79	1,986
2019-20	16,054	5,820.58	2,645.21	2,333
2020-21	13,356	9,344.62	2,406.43	1,512
2021-22 (दिसम्बर 21 तक)	11,645	25,523.34	2,154.57	1,376
Total	63,830	49,753.39	10,662	7,207
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अपराध मामलों की कुल संख्या				
अवधि: 2019-20 to 2021-22 (अक्टूबर 2021 तक)				
अवधि	जब्ति के मामलों की सं.	पता लगाए गए मामलों की सं.	वसूली	(करोड़ रु. में)
		(करोड़ रु. में)	(करोड़ रु. में)	
2019-20	608	8,684.38	220.18	
2020-21	233	1,827.53	111.57	
2021-22 (21 अक्टूबर तक)	78	1,389.54	19.08	
Total	919	11,901.45	350.84	

सेवा कर अपराध मामलों की कुल संख्या			
अवधि: 2019-20 to 2021-22 (अक्टूबर 2021 तक)			
अवधि	जब्ति के मामलों की सं.	पतां लगाए गए मामलों की सं.	वसूली
		(करोड़ रु. में)	(करोड़ रु. में)
2019-20	4,712	14,029.58	1,267.62
2020-21	9,643	17,900.50	704.11
2021-22 (21 अक्टूबर तक)	5414	20,014.93	187.68
कुल	19,769	51,945.02	2,159.41

आठ. पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान विभिन्न मंचों/न्यायालयों में लंबित पड़े प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थात् दोनों ही करों से संबंधित मामलों की संख्या (मामलों की संख्या और संबंधित राशि), और लंबित रहने की अवधि

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष के अंत में विचाराधीन रहने वाली अपीलों की संख्या और इन अपीलों की विवादित राशि			
		अपीलों की संख्या	राशि करोड़ रुपये में	
2018 -19	उच्चतम न्यायालय	6,354	23,560.25	अप्रत्यक्ष कर
	उच्च न्यायालय	38,758	1,36,465.39	
	आईटीएटी	92,205	-	
	सीआईटी(ए)	3,36,088	5,55,278.05	
2019 -20	उच्चतम न्यायालय	5,363	27,330.41	
	उच्च न्यायालय	31,548	3,09,237.57	
	आईटीएटी	88,016	-	
	सीआईटी(ए)	4,57,808	8,83,330.89	
2020 -21	उच्चतम न्यायालय	4,044	25,274.76	
	उच्च न्यायालय	26,444	2,75,329.25	
	आईटीएटी	66,562	-	
	सीआईटी(ए)	4,59,093	24,64,609.83	

विभिन्न न्यायालयों/मंचों में फंसे कर विवादों संबंधी प्रश्न के उत्तर में, सचिव, राजस्व विभाग ने समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान इस प्रकार बताया :

“सीआईटी में जहां मामलों की संख्या बढ़ रही है, वहीं आने वाले ज्यादातर मामले आकलनकर्ताओं द्वारा दायर किए जाते हैं। यह भी फेसलेस आने के साथ कम हो जाएगा। लेकिन आईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के पास के मामलों में अतीत में कुछ कमी दिखाई दे रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि फेसलेस के साथ - और वर्तमान वित्त विधेयक में फेसलेस प्रक्रिया में कुछ सुधार किए गए हैं - एक बार जब आप उस प्रक्रिया को लागू करने में सक्षम हो जाते हैं, तो इससे और अधिक बदलाव आएगा।”

नौ. पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में कर के आधार को और भी गहन तथा विस्तृत किए जाने के लिए उठाए गए प्रमुख कदम इस प्रकार हैं :

नॉन टीडीएस श्रेणी के कर के आधार को विस्तृत करने के लिए किए गए उपाय

(i) वर्चुअल डिजिटल परिसम्पत्तियों पर कराधान की योजना: वर्चुअल डिजिटल परिसम्पत्तियों पर कर आरोपण किए जाने के लिए वित्त विधेयक 2022 में यह प्रावधान किया गया है कि वर्चुअल डिजिटल परिसम्पत्तियों के किए जाने वाले अन्तरण से होने वाली आय पर 30 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाएगा। ऐसी आय की संगणना में किसी भी प्रकार के व्यय (अधिप्राप्त की लागत से भिन्न, भत्ते या माफी या हानि पर कोई कटौती नहीं की जाएगी। वर्चुअल डिजिटल परिसम्पत्तियों के अन्तरण से होने वाली हानि को किसी अन्य आय से समायोजित नहीं किया जाएगा और न ही इसे अगले वर्षों के लिए अप्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा संव्यवहार के ब्यौरे को प्राप्त करने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि वर्चुअल डिजिटल परिसम्पत्तियों के अन्तरण के संबंध में किए जाने वाले भुगतान पर इसके प्रतिफल के 1 प्रतिशत की दर से टीडीएस की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा वर्चुअल डिजिटल परिसम्पत्तियों को उपहार में दिए जाने पर इसके प्राप्तकर्ता पर कर लगाए जाने का भी प्रस्ताव किया गया है।

(ii) अद्यतन रिटर्न: वित्त विधेयक 2022 में यह प्रावधान किया गया है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 में एक नई उपधारा (1क) को जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि करदाता संगत आकलन वर्ष के समाप्ति के 2 वर्ष के भीतर अपने आय के रिटर्न को पूरा/अद्यतन कर सकें। कोई भी करदाता स्वेच्छा से अपनी चूक या गलती को स्वीकार करके और किसी आकलन वर्ष के आने वाले वर्ष में 25 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर देकर और आकलन वर्ष के दूसरे वर्ष में 50 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त कर देकर अपने रिटर्न को अद्यतन कर सकता है। यह भुगतान उस सामान्य कर और ब्याज से अलग होगा जोकि ऐसे अद्यतन में दर्शायी गई आय पर लागू होता हो। अतः अब कोई करदाता अपने आईटीआर में अपने उस संव्यवहार को स्वेच्छा से शामिल कर सकता है जिसके बारे में उसने पहले न बताया हो।

(iii) मनोरेजन उद्योग के द्वारा किए जाने वाले खर्च की रिपोर्टिंग की दायरे को बढ़ाना: वित्त विधेयक, 2022 में ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों जो कि फिल्म उत्पादन, समारोह प्रबंधन, दूरदर्शन कार्यक्रमों के उत्पादन क्रीड़ा समारोह के प्रबंधन आदि जैसे विशेष क्रियाकलापों में संलग्न हों के द्वारा किए जाने वाले 50,000 रु. से अधिक के भुगतान कि रिपोर्टिंग के दायरे को बढ़ाने जाने का प्रस्ताव किया गया है।

(iv) बोनस स्ट्रिपिंग और डिविडेंड स्ट्रिपिंग से संबंधित प्रावधानों को प्रतिभूतियों तथा व्यापारिक न्यासों की इकाईयों और वैकल्पिक निवेश कोषों पर भी लागू करने का प्रस्ताव किया गया है: वित्त विधेयक, 2022 में यह प्रस्ताव किया गया है बोनस स्ट्रिपिंग से संबंधित प्रावधानों को प्रतिभूतियों पर भी लागू किया जाएगा। इसमें यह भी प्रस्ताव किया गया है कि बोनस स्ट्रिपिंग और डिविडेंड स्ट्रिपिंग से संबंधित प्रावधानों को किसी

अवसंरचना निवेश न्यास या रियल एस्टेट इंवेस्टमेंट ट्रस्ट या वैकल्पिक निवेश कोष की इकाईयों पर भी लागू किया जाएगा।

(v) धारा 115 खखघ के अंतर्गत डिविडेंड की आय पर कराधान की लागू रियायती दर को वापस लेना: वित्त विधेयक, 2022 में यह प्रस्ताव किया गया है कि किसी विदेशी कंपनी से किसी भारतीय कंपनी को प्राप्त होने वाली डिविडेंड आय पर धारा 115 खखघ के अंतर्गत जो 15% की रियायती कर दर लगायी जाती है उसे अंकलन वर्ष 2023-24 से वापस ले लिया जाएगा।

(vi) लेवी को बराबर करना: गैर निवासी डिजीटल कंपनियों के द्वारा अर्जित लाभ पर जो कर न लगाए जाने का मुद्दा है उसके कारण समाधान के लिए भारत ने एक अंतर्रिम उपाय के रूप में 2016 में ऑनलाइन विज्ञापन राजस्व पर 6% की दर से लेवी का बराबर रखा है। डिजीटल कंपनियों के द्वारा अर्जित लाभ पर कर की व्यवस्था के बारे में अंतर्राष्ट्रीय सहमति को कायम करने में अभी भी समय लग रहा है। वित्त अधिनियम, 2020 के तहत लेवी को बराबर करने के वर्तमान क्षेत्र का विस्तार किया गया है जिससे कि इस लेवी को 2% की दर से बराबर करके राजस्व के अन्य स्रोतों के भी इसके दायरे में लाया जा सके। वित्त अधिनियम, 2021 में आगे भी यह स्पष्ट किया गया है कि आयकर के अंतर्गत आने वाले कर योग्य संव्यवहारों पर लेवी को बराबर करने का काम लागू नहीं होगा।

(vii) वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस)-आयकर विभाग ने एक नयी यूटीलिटी/फॉर्म लागू किया है जिसे वार्षिक सूचना विवरण के नाम से जाना जाता है जिसमें कर विभाग के पास करदाता से संबंधित सभी वित्तीय और कर संबंधी जानकारी उपलब्ध होती है जिससे करदाता को अपने आय के रिटर्न को भरने में सभी वित्तीय संव्यवहारों का उल्लेख करने में सुविधा होती है।

(viii) आयकर रिटर्न को समय पूर्व दायर करना-कर अनुपालन को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए वैयक्तिक करदाताओं के लिए समय पूर्व दायर किए जाने वाले आयकर रिटर्न की व्यवस्था की गयी है। ऐसे आईटीआर में अब वेतन से प्राप्त होने वाली आय, बैंक से प्राप्त होने वाले ब्याज, डिविडेंड आदि के समय पूर्व भरे गए ब्यौरे दिए गए होते हैं। इसतरह के उपाय से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि करदाता अपने आईटीआर में वित्तीय संव्यवहारों को यथोचित रूप से भर सकेंगे।

(ix) पैनऔरआधार को आपस में जोड़ना-पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है और पैन और आधार को एक-दूसरे को जोड़ना भी अनिवार्य बना दिया गया है।

(x) कतिपय कोषों में कर्मचारियों के अंशदान पर दी जाने वाली छूट को सीमित करना: वित्त अधिनियम, 2020 में यह प्रावधान किया गया है कि किसी मान्य प्राप्त भविष्य निधि, आधीवर्षिता कोष और एनपीएस में किसी कर्मचारी के खाते में उस कर्मचारी के सकल अंशदान पर दी जाने वाली छूट को किसी एक वर्ष में अधिकतम सात लाख पचास हजार रु. तक सीमित करना है।

(xi) भारत के मानद निवासी-वित्त अधिनियम, 2020 के द्वारा 15 लाख रु. से अधिक के कुल आय वाले (विदेशी स्रोत से भिन्न) भारतीय नागरिक या भारतीय मूल के किसी व्यक्ति के टैक्स रेजीडेंसी स्टेटस का निर्धारण करते समय ऐसे व्यक्ति के ठहरने की अवधि को 180 दिन से कम करके 120 दिन कर दिया गया है। उक्त अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और जिसपर किसी अन्य देश में कर नहीं लगता है के बारे में यह मान लिया जाएगा कि वह भारत का ही नागरिक है। इसमें और भी प्रावधान किया गया है कि ऐसे मानद निवास स्तर की शर्त तभी लागू होगी जब उसकी कुल आय (विदेशी स्रोतों से भिन्न) 15 लाख रु. से अधिक हो और उसपर किसी अन्य देश में कर न लगता हो जिसका कारण डोमासाइल या निवास या इसी प्रकार का अन्य कोई आधार हो।

(xii) काला धन अधिनियम-छिपाकर रखे गए काले धन को देश से बाहर भेजने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 (काला धन अधिनियम) तैयार किया गया है।

(xiii) बेनामी कानून-बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 2016 के द्वारा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 में व्यापक रूप से संशोधन किया गया है जिससे कि बेनामी संपत्ति को जब्त किया जा सके और बेनामीदार और लाभ प्राप्त करने वाले स्वामी को अभियोजित भी किया जा सके।

स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) के दायरे को बढ़ाने के लिए कर के आधार का विस्तार करने संबंधी उपाय

(i) दायर न करने वालों के मामले में उच्चतर टीडीएस/टीसीएस: वित्त विधेयक, 2022 में ऐसे प्रावधान किए जाने के लिए प्रस्ताव किया गया है जिससे कि दायर न करने वालों पर उच्चतर दर से कटौती/संग्रहण किया जा सके और रिटर्न न भरी जाने वाली अवधि को 2 वर्ष से कम करके 1 वर्ष करके इसे और सख्त बनाया जा सके।

(ii) अचल संपत्ति पर बिक्री के प्रतिफल या स्टाम्प ड्यूटी के मूल्य की उच्चतर दर से टीडीएस: वित्त विधेयक, 2022 में यह प्रस्ताव किया गया है कि यदि कोई निवासी अपनी अचल संपत्ति कृषि भूमि से भिन्न का अंतरण करता है तो कर की कटौती बिक्रय के प्रतिफल या स्टाम्प ड्यूटी के मूल्य, जो अधिक हो, पर की जाए।

(iii) लाभ या अनुलाभ पर टीडीएस: वित्त विधेयक, 2022 में यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसे व्यक्ति पर जो कि व्यापार या व्यवसाय करने वाले किसी निवासी को कोई लाभ या अनुलाभ देने के लिए जिम्मेदार पाया जाता है, ऐसे लाभ या अनुलाभ के 10% की दर कर की कटौती की जाए, यदि ऐसे लाभ या अनुलाभ का मूल्य या सकल मूल्य उक्त वित्तीय वर्ष में 20000 रु. से अधिक हो।

(iv) इसके अलावा, विदेश से आने वाले पैसों, लग्जरी कार की खरीद, ई-कॉमर्स भागीदारों वस्तुओं की खरीद/बिक्री, अचल परिसंपत्तियों की अधिप्राप्ति, आदि जैसे नए संव्यवहारों को शामिल करके स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के दायरे को और भी बढ़ाया गया है।

दस. कर के लीकेज/वंचन को रोकने के लिए उठाए गए कदम और वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 और चालू वित्तीय वर्ष में पता लगे ऐसे कर की प्रमात्रा

कर के लीकेज/वंचन को रोकने के लिए किए गए माल एवं सेवाकर संबंधी उपाय

- केन्द्रीय जीएसटी के क्षेत्रीय कार्यालयों ने ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए प्रयास किया है जिसमें उन्होंने आसूचना और विश्लेषणों आंकड़ों का ज्यादातर प्रयोग किया है।
- नकली बोगस इन्वॉइसेस के आधार पर धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स/क्रेडिट को प्राप्त करने और उनको आगे जारी करने वाले नकली निकायों के खिलाफ राष्ट्र व्यापी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सीबीआईसी ने आईटीसी के ऐसे बहुत सारे मामलों का पता लगाया है जिनमें किंगफिंगस्टक पता 06.02.2022 से 09.11.2020 मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी भी शामिल है।/ की गयी वसूली का ब्लौरा इस प्रकार है/लगाए मामलों:

जीएसटी चालान जालसाजों के खिलाफ विशेष अभियान				
अवधि	दर्ज मामलों की संख्या	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	नकली आईटीसी/जीएसटी राशि का पता चला (करोड़ में)	वसूल की गई राशि (करोड़ में)
9 नवंबर, 2020 से 6 फरवरी, 2022 तक	6110	606	44189.10	2129.09

iii. फर्जी डीलरों/चालान के खिलाफ व्यापक निवारक उपाय सुनिश्चित करने के लिए ,सीबीआईसी द्वारा दर्ज मामलों की जानकारी जीएसटीसी के माध्यम से एसजीएसटी प्राधिकारियों के साथ साझा की जाती है और एफआईयू के साथ भी संदिग्ध लेनदेन रिकॉर्ड पर नज़र रखने के लिए ,और सीबीडीटी फर्जी व्यय आदि से संबंधित कार्रवाई शुरू करने के लिए साझा की जाती है।

iv. इसके अलावा ,डेटा विश्लेषण की सहायता से ,डीजीएआरएम निदेशालय द्वारा फर्जी/नकली डीलरों की पहचान की जाती है।

v. टोल भुगतान के लिए फास्टैग के अनिवार्य होने के परिणामस्वरूप टोल का डेटा साझाकरण , अब फास्टैग डेटा के साथ ईडब्ल्यूबी के सहसंबंध की अनुमति देता है , जो ईडब्ल्यूबी के दुरुपयोग की पहचान करने में मदद करेगा और नकली चालान के डीलरों का पता लगाने में मदद करेगा। और चोरी पर भी अंकुश लगाएं।

नीति और कानूनी उपाय:

- इनपुट टैक्स क्रेडिट के गलत दावों के मामलों को रोकने के लिए, नियम 36 के उप-नियम (4) को केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में अधिसूचना संख्या 49/2019-केंद्रीय कर दिनांक 09.10.2019 केंद्रीय कर दिनांक 26.12.2019,के तहत अंतःस्थापित गया है। अधिसूचना संख्या 75/2019 के माध्यम से - नियम 86क को सीजीएसटी नियम, 2017 में शामिल किया गया है, जो कर अधिकारी को, जो कि सहायक आयुक्त के पद से नीचे नहीं है, एक करदाता अगर उसके पास यह मानने का कारण है कि ऐसा क्रेडिट अयोग्य है या धोखाधड़ी से लिया गया है, को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्लॉक करने का अधिकार देता है।
- 21.08.2020 से नए आवेदकों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यदि आधार प्रमाणीकरण नहीं किया जाता है या प्रमाणीकरण विफल रहता है, तो पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने के 30 दिनों के भीतर व्यावसायिक परिसर के भौतिक सत्यापन के बाद पंजीकरण प्रदान किया जाएगा। (सीजीएसटी नियमों के नियम 8 (4क))।
- केंद्रीय कर अधिसूचना 31/2019-केंद्रीय कर दिनांक 28.06.2019 के तहत से सीजीएसटी नियम, 2017 का एक नया नियम 10ए शामिल किया गया है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि नए पंजीकृत करदाता बैंक खाते के विवरण, या किसी अन्य जानकारी के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करेंगे, जैसा कि हो सकता है किसी अन्य प्रावधान का अनुपालन करने के लिए सामान्य पोर्टल पर आवश्यक है, के भीतर GST पोर्टल पर उनके बैंक खाते का विवरणपंजीकरण की तारीख से 45 दिनों के भीतर या पहले GSTR-3B दाखिल करने की नियत तारीख, जो भी पहले हो, इस नियम को अधिसूचना संख्या 35/2021-केन्द्रीय कर दिनांक 24.09.2021 द्वारा संशोधित किया गया था ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि बैंक खाता पंजीकृत व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए और उसके स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया जाना चाहिए। इसके अलावा, नियम 10क के प्रावधान में स्पष्ट किया गया है कि स्वामित्व की चिंता के मामले में, मालिक के स्थायी खाता संख्या को भी मालिक के आधार संख्या के साथ जोड़ा जाएगा। नियम 10क का उल्लंघन उन आधारों में से एक है जिन पर नियम 21 के तहत पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। नियम 10ख को अधिसूचना संख्या 35/2021-केंद्रीय कर दिनांक 24.09.2021 के तहत भी शामिल किया गया था, जो विनिर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु पंजीकृत व्यक्ति के गठन के आधार पर मालिक, भागीदार, कर्ता, प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक आदिके आधार संख्या के प्रमाणीकरण के लिए प्रदान करता है।
- दिनांक 22.12.2011 से पंजीकरण रद्द करने के लिए अतिरिक्त आधार पेश किया गया है, जैसे कि जहां धारा 16 या नियम 86ख के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है या जहां फॉर्म जीएसटीआर 1 और फॉर्म जीएसटीआर-3ख के खंच बेमेल है (नियम 21);

• केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में नियम 138़ डाला गया है जो उन करदाताओं द्वारा ई-वे बिल के निमणि को प्रतिबंधित करता है जिन्होंने लगातार दो महीने की अवधि के लिए रिटर्न नहीं दिया है। इसके अलावा, माल के परिवहन के लिए कई बार ई-वे बिल के दुरुपयोग से बचने के लिए, ई-वे बिल की वैधता को अब 01.01.2021 से से एक दिन के लिए 200 किलोमीटर (प्रति दिन पहले 100 किलोमीटर से) तक की दूरी के लिए [नियम 138 (10)]। प्रतिबंधित कर दिया गया है।

• नकली व्यापारियों और मुखौटा कंपनियों को अपने जीएसटीआर-3ख रिटर्न दाखिल किए बिना और करों का भुगतान किए बिना नकली क्रेडिट पर जाने से रोकने के लिए, एक करदाता द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति विवरण प्रस्तुत करने को अवश्यक करने का प्रावधान किया गया है, यदि 2 या अधिक उक्त करदाता द्वारा जीएसटीआर-3खरिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है। [नियम 59 अधिसूचना संख्या 94/2020- केंद्रीय कर दिनांक 22.12.2020] के साथ पढ़ें।

• 22.12.2020 से पंजीकरण के केंद्रीकृत (प्रणाली आधारित) निलंबन के लिए प्रावधान लागू किया गया है, जहां फॉर्म जीएसटीआर -1 और प्रपत्र जीएसटीआर -3B के खंच या जावक आपूर्ति और प्रपत्रजीएसटीआर -3B के खंच या जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर किए गए अन्य विश्लेषण के आधार पर बेमेल है। (नियम 21 क)

• इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधान भी मुख्य रूप से नकली डीलरों और मुखौटा कंपनियों को लक्षित करने वाले दुरुपयोग विरोधी प्रावधानों के रूप में पेश किए गए हैं। उन मामलों में आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, जहां आपूर्तिकर्ताओं द्वारा अपने जावक आपूर्ति विवरण में जावक आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रारंभ में, करदाता द्वारा इस तरह के क्रेडिट का लाभ उठाने की सीमा आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके जावक आपूर्ति विवरण में प्रस्तुत विवरण के अनुसार उपलब्ध क्रेडिट के 1.2 गुना तक सीमित थी। हालांकि, इसे अब 1 जनवरी, 2021 से ऐसे क्रेडिट का 1.05 गुना तक कम कर दिया गया है। उन चालानों (जिनका विवरण आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है) के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ पात्र क्रेडिट के 5 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। उन चालानों के संबंध में, जिनका विवरण आपूर्तिकर्ता की ओर 01.01.2021 से प्रस्तुत किया गया है। [नियम 36 (4)]

• 1 जनवरी 2021 से, 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले सभी बी2बीलेनदेन के लिए ई-इनवॉइस अनिवार्य कर दिया गया है। इससे कर अधिकारियों को नकली इनवॉइस जारी करने से होने वाली कर चोरी के खतरे से निपटने में काफी मदद मिलेगी। इसके अलावा, यह जीएसटी व्यवस्था में परिकल्पित क्रेडिट और इनवॉइस मिलान के निर्बाध प्रवाह को भी सुनिश्चित करेगा।

• धारा 132 में संशोधन - बिना इनवॉइस या बिल के आईटीसी के कपटपूर्ण लाभ का अपराध अब धारा 69 के तहत संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है और वह व्यक्ति जो कुछ लेनदेन का लाभ बरकरार रखता है और जिसके कहने पर ऐसे लेनदेन किए जाते हैं, वह भी दंड के लिए उत्तरदायी है।

• धारा 122 में संशोधन - लाभार्थी जो लाभ बरकरार रखता है या जिसके कहने पर बिना इनवॉइस जारी किए आपूर्ति की गई है, या बिना आपूर्ति के इनवॉइस जारी किया गया है, या अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया गया है/वितरित किया गया है, वह उसी तरह के दंड के लिए उत्तरदायी है जैसा कि वास्तविक आपूर्तिकर्ता/प्राप्तकर्ता।

• सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि इनवॉइस या ऋणनामे पर इनपुट टैक्स क्रेडिट तभी लिया जा सकता है जब ऐसे इनवॉइस या ऋणनामे का विवरण आपूर्तिकर्ता द्वारा जावक आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत किया गया हो और इस तरह के विवरण ऐसे इनवॉइस या ऋणनामे के प्राप्तकर्ता को सूचित किया गया है।

- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 83 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अनंतिम कुर्की अध्याय XII, अध्याय XIV या अध्याय XV के अधीन किसी भी कार्यवाही की शुरुआत की तारीख से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक की पूरी अवधि के लिए वैध रहेगी। इसमें यह भी प्रावधान है कि धारा 122 की उप-धारा (1क) के तहत विनिर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति के संबंध में संपत्ति की अस्थायी कुर्की की जा सकती है।
- अधिसूचना संख्या 35/2021-केन्द्रीय कर दिनांक 24/09/2021 जारी की गयी है जो विनिर्दिष्ट करती है कि 01.01.2022 से, एक पंजीकृत करदाता को अपना जीएसटीआर -1 दाखिल करने की अनुमति नहीं होगी यदि उसका जीएसटीआर -3B पिछले महीने के लिए दाखिल नहीं किया गया था।
- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा (2) को दिनांक 01.01.2022 से संशोधित किया गया है जो प्रावधान करता है कि इनवॉइस या ऋणनामे पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब आपूर्तिकर्ता द्वारा जावक आपूर्ति के विवरण में ऐसे इनवॉइस या ऋणनामे का विवरण प्रस्तुत किया गया हो और इस तरह के विवरण इस तरह के इनवॉइस या ऋणनामे प्राप्तकर्ता को सूचित किया गया हो।
- सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 36(4)में भी 01.01.2022 से संशोधन 01.01.2022 इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्राप्ति को उस सीमा तक सीमित करने के लिए किया गया है जो आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटीआर -1/चर्चमें प्रस्तुत किए गए आगत कर क्रेडिट और करदाता के जीएसटीआर -2B में दिखाई दे रहा है।
- निर्दिष्ट मामलों में एक महीने में आपूर्ति का मूल्य 50 लाख रुपये से अधिक होने पर 1% निर्गत कर देनदारी का अनिवार्य नकद भुगतान।
- सीजीएसटी नियम 2017 के नियम 59(6) को जीएसटीआर-1की फाइलिंग को प्रतिबंधित करने के लिए 01.01.2022 से संशोधित किया गया है, यदि करदाता 01.01.2022 में पूर्ववर्ती कर अवधि के लिए जीएसटीआर-3ख रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 75 की उप-धारा (12) का स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करने के लिए डाला गया है कि "स्व-मूल्यांकन कर" में बाह्य आपूर्ति के संबंध में देय कर शामिल होगा, जिसका विवरण धारा 37 के तहत प्रस्तुत किया गया है, लेकिन धारा 39 (01.01.2022 से लागू के तहत प्रस्तुत विवरणी में शामिल नहीं है।
- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 83 में संशोधन किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अनंतिम कुर्की अध्याय XII, अध्याय XIV या अध्याय XV के अधीन किसी भी कार्यवाही की शुरुआत की तारीख को किए गए आदेश (01.01.2022 से लागू से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति तक की पूरी अवधि के लिए वैध रहेगी।
- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 107 में यह प्रावधान करने के लिए संशोधन किया गया है कि धारा 129 की उप-धारा (3) के तहत किए गए आदेश के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जाएगी, जब तक की राशि अपीलकर्ता द्वारा जुमाने के रूप में दी गई राशि के पच्चीस प्रतिशत के बराबर न हो। (01.01.2022 से प्रभावी है)
- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 129 में संशोधन किया गया है, ताकि पारगमन में हिरासत, जब्त, रिहा किए गए सामान एवं वाहन की कार्यवाही को धारा 130 के अधीन की जाने वाली कार्यवाही जो सामान या वाहनों की जब्ती एवं दंडारोपण (01.01.2022 से प्रभाव में लाया गया) से संबंधित है, से पृथक किया जा सके।
- सीजीएसटी अधिनियम की धारा 130 में संशोधन किया गया है ताकि धारा 129 के अधीन सामान एवं वाहनों की जब्ती एवं दंडारोपण से संबंधित कार्यवाही को जो पारगमन में हिरासत सामान एवं वाहनों की जब्ती एवं रिहाई से संबंधित है, से पृथक किया जा सके।

- बिना इनवॉइस या बिल के आईटीसी के कपटपूर्ण लाभ का अपराध अब 01.01.2021 संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है।
- लाभार्थी, जो लाभ बरकरार रखता है या जिसके कहने पर बिना इनवॉइस जारी किए आपूर्ति की गई है, या बिना आपूर्ति के इनवॉइस जारी किया गया है, या अतिरिक्त आईटीसी का लाभ उठाया/वितरित किया गया है, वास्तविक आपूर्तिकर्ता / प्राप्तकर्ता दंड के समान दंड के लिए उत्तरदायी बनाया गया है।
- रिफ़ंड की राशि की गणना के लिए, आगत कर क्रेडिट के रिफ़ंड का दावा करने के उद्देश्य से टर्नओवर की परिभाषा को घरेलू आपूर्ति के 1.5 गुना पर निर्यात के कैप वैल्यू में बदल दिया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट बहीखाता में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के उपयोग पर प्रतिबंध 26.12.2019 से लागू किया गया है, ऐसे मामलों में जहां क्रेडिट धोखाधड़ी से लिया गया है या अपात्र है।
- ई-वे बिल को ब्लॉक करना, जब कोई करदाता जीएसटी पोर्टल पर लगातार दो या अधिक महीनों तक जीएसटीआर-3ख/जीएसटीआर-1 फाइल करने में विफल रहता है, तो इसकी सूचना ई-वे बिल सिस्टम को दी जाएगी और जीएसटीआईएन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। ऐसे अवरुद्ध करदाताओं के जीएसटीआईएन का उपयोग ई-वे बिल बनाने के लिए या तो परेषक या परेषिती के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- विवरणियों में वृद्धि एवं उन्नति परियोजनाएं (आरईएपी)जीएसटीएनद्वारा शुरू किया गया है, जिसमें आईटीसी का ऑटोपोपुलेशन एवं जीएसटीआर-2ख और जीएसटीआर-1 से जीएसटीआर-3खरिटर्न की देनदारियों को दिसंबर 2020 से शुरू किया गया है। जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3ख को जोड़ने से इनवॉइस मिलान, ITC सत्यापन, ITC के सिस्टम सत्यापित प्रवाह और देयता मिलान का उद्देश्य प्राप्त किया गया है।
- दिनांक 01.10.2020 से बी2बी संव्यवहारों एवं आयात इनवॉइस के लिए उन करदाताओं के लिए जिनका टर्नओवर 500 करोड़ या उससे अधिक है, ई-इनवॉइस को अनिवार्य कर दिया गया है। दिनांक 01.04.2021 से अनिवार्य रूप से ई-इनवॉइस जारी करने की सीमा को घटाकर 50 करोड़ कर दिया गया है। ई-इनवॉइस से डेटा करदाता के फॉर्म जीएसटीआर-1 में स्वतः भरा जा रहा है, जो बदले में जीएसटीआर-3खरिटर्न को ऑटो-पॉपुलेट करने के लिए उपयोग किया जा रहा है।
- नए आवेदनों के लिए जीएसटी में आधार आधारित पंजीकरण 21.08.2020 से शुरू किया गया है और पंजीकरण के दौरान सत्यापन प्रक्रिया को मजबूत करने हेतु पंजीकरण को मंजूरी देने के लिए उचित अधिकारी को प्रदान की गई अवधि को तीन कार्य दिवसों से बढ़ाकर सात कार्य दिवस कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति आधार संख्या के प्रमाणीकरण से गुजरने में विफल रहता है या आधार संख्या के प्रमाणीकरण का विकल्प नहीं चुनता है, और आधार प्रमाणीकरण के बिना आवेदन दाखिल करने के लिए आगे बढ़ता है, तो पंजीकरण प्रदान करने की समय सीमा 21 दिनों की पूर्व समयावधि से बढ़ातक 30 दिन कर दी गई है, और ऐसे मामलों में, उक्त व्यक्ति की उपस्थिति में व्यवसाय के स्थान के भौतिक सत्यापन के बाद पंजीकरण की अनुमति दी जाती है।
- दिनांक 22.12.2021, पंजीकरण रद्द करने के लिए अतिरिक्त आधार पेश किए गए हैं।

प्रवर्तन उपाय (वस्तु एवं सेवा कर):

- ई-वे बिल को एकीकृत किया गया है और आरएफआईडी के साथ ट्रैकिंग शुरू की गई है। यह जीएसटी चोरी पर नजर रखने के लिए वाहनों की आवाजाही के वास्तविक समय के डेटा तक पहुंच प्रदान करेगा। करदाताओं की विभिन्न रिपोर्टों के खंच विचलित व्यवहार और विसंगतियों की पहचान करने के लिए विभाग डेटा विश्लेषण और सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली-आधारित उपकरणों का उपयोग कर रहा है। जोखिम भरे करदाताओं की पहचान करने के लिए नेटवर्क विश्लेषण पर आधारित एनईटीआरए (नेटवर्किंग एक्सप्लोरेशन टूल्स फॉर रेवेन्यू

आर्गुमेंटेशन), बीआईएफए (बिजनेस इंटेलिजेंट एंड फ्रॉड एनालिटिक्स) और एडीवीएआईटी (एडवांस्ड एनालिटिक्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेशन) जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल लागू किए गए हैं।

• नकली आईटीसी पर कपटपूर्ण रिफंड दावों के जोखिम को कम करने के लिए, निर्यातिकों के संबंध में जोखिम प्रोफाइलिंग करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और एआई-आधारित टूल का उपयोग करते हुए, "जोखिम वाले निर्यातिकों की सूची जिसमें उनकी आपूर्ति श्रृंखला का विवरण शामिल है, उनके सत्यापन के लिए फील्ड फॉर्मेशन द्वारा तैयार किया जा रहा है, और ऐसे सभी मामलों में आईजीएसटी रिफंड की मंजूरी इस संबंध में फील्ड फॉर्मेशन से एनओसी के अधीन है।

• जब रिटर्नस और अन्य डाटाबेस जैसे कि जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3ख और जीएसटीआर-2ख, जीएसटीआर-3ख एवं ई-वे बिल, जिनको कि सत्यापन के लिए नियमित आधार पर कर अधिकारियों के साथ साझा किया जा रहा हो के बीच पैदा होने वाली विसंगतियों के रूप में चूककर्ता करदाताओं और जोखिमयुक्त करदाताओं के विचलन युक्त व्यवहार के बारे में विश्लेषण एवं जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय के साथ-साथ जीएसटीएन भी डाटा विश्लेषण और एआई आधारित टूल्स का उपयोग करके रेड फ्लैग रिपोर्ट्स तैयार कर रहा है। क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा इन रेड फ्लैग रिपोर्ट्स पर की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप पर्याप्त मात्रा में पता लगाए जाने और वसूली के कार्य किए गए हैं और इससे करदाताओं के सकल अनुपालन में भी सुधार आया है। इन रेड फ्लैग रिपोर्टों के आधार पर की जाने वाली कार्यवाही के अलावा रिटर्न की जांच के लिए एक जोखिम आधारित मानकीकृत भी लागू की गई है।

लीकेज/कर की चोरी रोकने के लिए सीमा शुल्क उपाय

1. कानून और प्रक्रिया

क. अधिनियम को पूरे भारत में लागू करने के लिए धारा 1(2) में संशोधन किया गया था और, इस अधिनियम में अन्यथा रूप में प्रदान किया गया है कियह किसी भी व्यक्ति (2018) द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी भी अपराध या उल्लंघन पर भी लागू होता है;

ख. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की उप-धारा (3ए) धारा 2 के तहत 'लाभार्थी स्वामी' के लिए एक नई परिभाषा पेश की गई है, "कोई भी व्यक्ति जिसकी ओर से माल आयात या निर्यात किया जा रहा है या जो आयात या निर्यात किए जा रहे माल पर प्रभावी नियंत्रण रखता हो।" (2017);

ग. "भारतीय सीमा शुल्क जल" का अर्थ है प्रादेशिक जल की धारा 7 के तहतमहाद्वीपीय शेल्फ, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और अन्य समुद्री क्षेत्र अधिनियम, 1976, (1976 का 80) अनन्य आर्थिक क्षेत्र की सीमा तक समुद्र में फैला हुआ पानी और इसमें खाड़ी, खाड़ी, बंदरगाह, नाला या ज्वारीय नदी (2018); कोई भी शामिल हैं।

घ. धारा 11(3) को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से निषेध और प्रतिबंधों को अधिसूचित करने के लिए अन्तर्स्थापित गया था (लेकिन इस धारा को अभी अधिसूचित किया जाना है) (2018)

ड. परिपत्र 07/2020- सेकेंड-हैंड मशीनरी के मूल्यांकन पर सीमा शुल्क;

च. परिपत्र संख्या 33/2017-आयातित माल की उच्च समुद्री बिक्री और उसके संग्रह के बिंदु पर आईजीएसटीकी जीवंतता पर सीमा शुल्क;

छ. सीमा शुल्क (अनंतिम मूल्यांकन विनियमों को अंतिम रूप देना), 2018;

ज. पूरक नोटिसों को जारी करने के लिए धारा 28 (7क) अन्तर्स्थापित की गई और धारा 124 में संशोधन किया गया (2018);

- झ. स्क्रिप्ट संबंधी उल्लंघन के संबंध में किसी अन्य कानून को कवर करने के लिए धारा 28 कक्ष में संशोधन किया गया था। (2020);
- ज. मूल नियमावली संबंधित प्रक्रियात्मक परिवर्तन (सीएआरओटीओआर);
- ट. परिपत्र 49/2018-सीमा शुल्क लावारिस/अस्वीकृत माल के समय पर निपटान को कारगर बनाने के लिए (2018);
- ठ. कार्गो विनियम, 2020 का पोतांतरण;
- ड. अध्याय XI का दायरा कूरियर तक भी बढ़ा दिया गया (2018);
- ढ. परिसर आधारित लेखापरीक्षा (2018) के लिए नई धारा 99क अन्तर्स्थापित की गई थी;
- ण. सीमा शुल्क लेखापरीक्षा विनियम, 2018;
- त. सीमा शुल्क लेखापरीक्षा नियमावली, 2018;
- थ. यदि आवश्यक हो तो आयातक/निर्यातक के आधार प्रमाणीकरण के लिए धारा 99ख अन्तर्स्थापित गई थी;
- द. यात्रियों के एक्स-रे निरीक्षण के लिए फुल बॉडी स्कैनर के उपयोग के लिए धारा 103 में संशोधन किया गया था;
- ध. धारा 104 में संशोधन करके गिरफ्तारी करने की शक्तियों का दायरा भारत से आगे बढ़ाया गया जिसमें ड्रा बैंक और स्क्रिप्ट संबंधित अपराध भी शामिल थे (2018);
- न. धारा 109कको नियंत्रित वितरण (2018) को सक्षम करने के लिए अन्तर्स्थापित गया था।
- प. उस अवधि के लिए जब माल अनंतिम रूप से जारी किया जाता है (2018) अवधि प्रतिबंध को हटाने के लिए धारा 110 में संशोधन किया गया था;
- फ. जांचके दौरान अनंतिम कुर्की को सक्षम करने के लिए धारा 110 में संशोधन किया गया था (2019);
- ब. मूल नियमावली से संबंधित उल्लंघनों को शामिल करने के लिए धारा 111 में संशोधन किया गया था (2020);
- भ. पेनल्टी हेतु स्क्रिप्ट संबंधी उल्लंघनों को कवर करने के लिए धारा 114 कख को शामिल किया गया था (2019);
- म. स्क्रिप्ट से संबंधित अपराधों को शामिल करने के लिए धारा 135 में संशोधन किया गया था (2019)

2. तंत्र संबंधी उपाय:

- क. ई-संचित: भाग लेने वाली सरकारी एजेंसियों को प्रामाणिकता लाने और व्यापार के साथ इंटरफेस से बचने के लिए ई-संचितमें लाइसेंस, परमिट, प्रमाण पत्र और अन्य प्राधिकरण (एलपीसीओ) अपलोड करने के लिए कहा गया था।
- ख. (सीएआरओटीओआर) संबंधित सत्यापन;

- ग. पीएफएमएस के माध्यम से आईजीएसटी प्रतिदाय;
- घ. जीएसटीआईएन की अनिवार्य घोषणा;
- ड. सुविधा और गुमनामी दोनों के लिए और इंटरफेस से बचने के लिए फेसलेस निर्धारण।
- च. राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र (एनसीटीसी): इसके लक्षित वृष्टिकोण के परिणामस्वरूप व्यापार में सुविधा और परिणाम-आधारित जोखिम का प्रबंधन होता है: केवल 10% (लगभग) खेपों को जांच के लिए बाधित किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप अखिल भारतीय आधार पर गलत घोषित/छुपा/तस्करी किए गए सामानों और राजस्व अपवंचन की एक विस्तृत श्रृंखला की दैनिक अनुसंधान होता है।
- 3. अन्य उपाय**
- क. गैर-हस्तक्षेप निरीक्षण प्रणाली: सभी मुख्य और निजी बंदरगाहों में विभिन्न प्रकार के कंटेनर स्कैनर स्थापित किए गए हैं। स्कैनरों की अतिरिक्त खरीद भी की जा रही है। 2022 के अंत तक देश के विभिन्न बंदरगाहों में कुल 34 कंटेनर होंगे;
- I. स्थापित अन्य तस्करी रोधी उपकरण
 - II. 42 कैरेट मीटर
 - III. 158 एक्स-रे बैगेज जांच व्यवस्था
 - IV. 164 विडियोस्कोप
 - V. 15 एक्स-रे मेल जांच व्यवस्था
 - VI. 82 एक्स-रे बैगेज जांच व्यवस्था
- ख. 15 स्थानों पर 109(24 श्रेणी-I, श्रेणी-II, 30श्रेणी-IIक और 33श्रेणी-IIख) सीमा शुल्क गश्ती नौकाओं को तैनात किया गया है। जिनमें से 56 चालू हैं (क्रमशः 9, 13, 20, 14) और नियमित गश्त के लिए उपयोग किए जाते हैं।
- ग. सीआरसीएल का उन्नयन: केंद्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशालाओं को अत्याधुनिक नवीन उपकरणों के साथ उन्नत किया गया है। 8 प्रयोगशालाओं में से 10 को एनएबीएल द्वारा मान्यता दी गई हैं।
- घ. फुल बॉडी स्कैनरों की खरीद जारी है।
- ड. एयर-कार्गो संचालकों को 7 प्रमुख एयर-कार्गो कॉम्प्लेक्स में एयर कार्गो इंस्पेक्शन सिस्टम की खरीद और स्थापना के लिए निर्देशित किया गया था;
- च. सीमाशुल्क के 9 दस्ते को विशेष रूप से कार्गो या बैगेज में छुपाए गए किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित पदार्थ से इन वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। के 9 दस्ते में 09 स्थानों पर तैनात 17 कुच्चे शामिल हैं- अमृतसर, नई दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, मुम्बई, पुणे, तिरुचिरापल्ली, तिरुवनंतपुरम, और कोच्चि के हवाई अड्डे। पिछले 12 महीनों में के 9 दस्ते द्वारा विभिन्न स्थानों पर 134.616 किलोग्राम पदार्थों (जैसे हेरोइन, कोकीन, हशीश, खत और गांजा) सहित 27 मामलों का पता लगाया गया था। अन्य 17 का प्रशिक्षण प्रक्रियाधीन है। आने वाले वर्षों में 209 और डोंग खरीदें और प्रशिक्षित किए जाएंगे।

ग्यारह. पिछले तीन वित्तीय वर्षों (चालू वित्त वर्ष सहित) के लिए कर बकाये की मात्रा (संग्रहणीय या गैर-संग्रहणीय), उनकी वसूली और लंबित रहने की स्थिति

प्रत्यक्ष कर:

कर बकायों की मात्रा के संबंध में विस्तारित डेटा

(रुपए करोड़ों में)

	वर्ष के आरंभ मं मांग का कुल कर बकाया	वर्ष के दौरान एकत्र की गई मांग की राशि	वर्ष के अंत में संग्रह की कुल मांग*	मांग जिसकी वसूली कठिन है *(डीडीआर)	शुद्ध संग्रहणीय मांग *(एनसीडी)
वित्त वर्ष 2019-20	1321699	6520	1618954	1580220	38734
वित्त वर्ष 2020-21	1622044	33522	1511618	1485289	26473
वित्त वर्ष 2021-22(30.11.2021 तक)	1531736	36596	1866790	1757085	109705

स्रोत: डीओएमएस(केप। रिपोर्ट)

*वर्तमान मांग शामिल है।

वसूली न किए जाने के कारण:

- आयकर अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत नोटिस के जारी होने की तारीख से 156 सूली के दिनों की समाप्ति के बाद भुगतान के लिए मांग देय हो जाती है। मांग की व लिए नियमित आधार पर कार्रवाई की जाती है।
- मांग का एक बड़ा भाग 'मांग जिसकी वसूली कठिन है' की श्रेणी में आता है जो कि बकाया मांग का %97 से अधिक बनता है। अपर्याप्त परिसंपत्तियों, निर्धारिती का पता नहीं चल पाना, परिमापन में कम्पनियां, आयकर प्राधिकारियों अथवा न्यायालयों द्वारा रोकी गई मांग, एनसीएलटी के समक्ष मामले और जैसे कारणों से मांग की वसूली करना कठिन हो सकता है।
- वित्त वर्ष के दौरान कोविड महामारी के कारण वसूलियां 22-2021 और 21-2020 प्रभावित हुईं, क्योंकि वसूली करने के लिए जबरदस्ती की कार्रवाई पर प्रतिबंध था।

अप्रत्यक्ष कर:

(राशि करोड़ों में)

वर्ष	कुल बकाया		बकाया वसूली		लंबित बकाया	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2019-20	1,71,965	2,66,906	41,246	6,819	1,61,241	2,72,914
2020-21	1,61,241	2,72,914	36,549	6,108	1,54,980	2,69,234
2021-22 (31.12.2022 तक)	1,54,980	2,69,234	11,210	22,291	1,69,846	2,95,438

बकाया राशि के कुल 169846 मामलों में 295438 करोड़ रुपए की राशि शामिल है, 82534 बकाया मामलों में 2, 58, 672 करोड़ रुपए की राशि गैर- संग्रहणीय है और वित्त वर्ष 2021-22(दिसंबर, 21 तक) के लिए शेष

87312 मामलों में 36,766 करोड़ रूपए की राशि वसूली योग्य है, परंतु अभी तक उसकी वसूली नहीं की गई है।

वसूली के लिए उपयुक्त बकायों में से, 43116 करोड़ रूपए की राशि बंद इकाई/ चूककर्ताओं जिनका पता नहीं चल सकता, के संबंध में हैं जिसमें वसूली की संभावनाएं मजबूत नहीं हैं। 9459 करोड़ रूपए की राशि वाले शेष 44196 मामलों के संबंध में वसूली न होने के व्यापक कारण निम्नानुसार हैं:

- i. जिन मामलों में सीमाशुल्क अधिनियम, के अंतर्गत अथवा केंद्रीय 142 की धारा 1962 उत्पाद शुल्क अधिनियम, की गई के अंतर्गत प्रमाणपत्र कार्रवाई शुरू 11 की धारा 1944 है, उन मामलों में जिला प्राधिकारियों में कार्रवाई योग्य जानकारी का अभाव है।
- ii. उन पार्टियों की खराब वित्तीय स्थिति जिनके पास परिसंपत्तियांसंपत्तियां भी नहीं हैं जिन्हें / कुर्की किया जा सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। वसूली की कार्यवाही, उचित ममलों में गार्निशी नोटिस आदि जारी करके की गई हैं।
- iii. हवाईअड्डा मामलों में “वाहनों” से जुमनि और शास्तियों की वसूली में कठिनाई।
- iv. कम विभागीय कार्रवाई के साथसाथ चूककर्ताओं को पेश आने वाली कठिनाइयों के - र प्रतिकूल प्रभाव महामारी और लॉकडाउनों दोनों के कारण वसूली प 19 कारण कोविड पड़ा।
- v. चूककर्ताओं की मृत्यु अथवा उनका दिवालिया होना।
- vi. बकाया की वसूली के उद्देश्य से कुर्क किए गए बैंक खातों में अपर्याप्त धनराशि अथवा कुर्क की हुई परिसम्पत्तियों का मूल्य पूरी तरह से देय राशि की वसूली के लिए अपर्याप्त है।

बारह. पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा पता लगाए गए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) संबंधी चूक

- I. पिछले तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा पता लगाए गए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) संबंधी चूक का विवरण इस प्रकार है:

(आंकड़े करोड़ रु में)

वित्त वर्ष	कुल बकाया मांग*
2018-19	5338.69
2019-20	6830.30
2020-21	5487.41
2021-22(07.02.2022 तक)	14714.46

स्रोत: सीपीसी टीडीएस

* कम भुगतान, कम भुगतान पर ब्याज, कम कटौती, कम कटौती पर ब्याज, विलंबित कटौती ब्याज, विलंबित भुगतान ब्याज, विलंबित फाइलिंग शुल्क, धारा 220(2) के अधीन ब्याज आदि शामिल हैं।

- II. पिछले 3 वर्षों के दौरान चूक की निगरानी के लिए उठाए गए कदम:

- i. टीडीएसटीसीएस प्रावधानों के समय पर अनुपालन में सुधार लाने और टीडीएस चूकों को / टीसीएस प्रावधानों के संबंध में जागरूकता के उद्देश्य /कम करने के लिए विभिन्न टीडीएस आयोजित किए गए हैं। वेबिनार/सेमिनार

- ii. टीडीएस चूक का पता लगाने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133क)2कके (तकाल सत्यापन किए गए थे।/अंतर्गत सर्वे
- iii. इसत्यापन कार्रवाइयां शुरू की गई हैं।-
- iv. सीपीसी द्वारा प्रोत्साहित किए गए टीडीएसटीसीएस मामलों की नकारात्मक वृद्धि के / की निगरानी की जा रही है। विश्लेषण
- v. कुछ चूक टीडीएस विवरणियां दाखिल करने में टीएनकट (टैन) औतीकर्ताओं द्वारा की गई गलतियों के कारण होती है। सीपीसी प्रोसेसिंगमैन्युअल प्रोसेसिंग से होने वाली चूक की / सुधार सूचना नियमित रूप से पोर्टल के माध्यम से चूककर्ताओं को भेजी जाती है। जहां विवरण दाखिल किए जाते हैं, उन्हें सीपीसी द्वारा संसाधित किया जा (टीडीएस) आता है जिससे मांग में कमी आती है।

III. चूककर्ताओं के खिलाफ की गई कार्रवाइयां:

- i. की राशि को निर्धारित करते हए धारा 201/201(1क) के अंतर्गत आदेश पारित किए गए हैं। (वसूली चूक पत्र जारी कर दिए गए हैं।
- ii. मांग की वसूली के लिए बैंक खातों को कुर्की किया जा चुका है।
- iii. स्थापित टीडीएस चूकों के संबंध में, वसूली सर्वेक्षण जैसी कठोर कार्रवाई की गई है।
- iv. धारा 271ग के अंतर्गत जुर्माना लगाया गया है।
- v. वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1615 मामलों में, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 1312 मामलों और वित्त वर्ष 2020-21 में 50 मामलों में क्रमशः धारा 276ख और 276खख के अंतर्गत टीडीएस और टीसीएस चूकों के लिए अभियोजन शुरू किया गया है।

तेरह. वर्ष 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए निर्धारित लक्ष्य और वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान वर्षवार प्राप्त लक्ष्य ।

प्रत्यक्ष कर:

प्रत्यक्ष कर संग्रह के संबंध में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्राक्कलन 14,20,000 करोड़ रुपये (निगम कर के लिए 7,20,000 करोड़ रुपये, आयकर के लिए 6,80,000 करोड़ रुपये और प्रतिभूति लेनदेन कर के लिए 20,000 करोड़ रुपये) के रूप में तय किया गया है।

वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 (15.02.2022 तक) के दौरान शुद्ध प्रत्यक्ष करों का ब.प्रा. सं.प्रा. और वास्तविक संग्रह निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ब.प्रा.	सं.प्रा.	एकत्रित शुद्ध प्रत्यक्ष कर				
			कॉर्पोरेट कर	आयकर	सुरक्षा लेनदेन कर	संपत्ति कर आदि सहित अन्य कर।	कुल
2020-21*	1319000	905000	457718.97	470216.72	16926.99	2093.31	946955.99
2021-22** (15.02.2022 तक)	1108000	1250000	567260.63	524678.38	21230.55	3204.46	1116374.02

स्रोत: * प्राप्ति बजट 2022-23 ** प्रा. सीसीए, सीबीडीटी

अप्रत्यक्ष कर:

वित्त वर्ष 2022-23: वित्त वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय निवल अप्रत्यक्ष कर संग्रह [सीमा शुल्क + केंद्रीय उत्पाद शुल्क + सेवा कर (बकाया) + जीएसटी] का लक्ष्य केंद्रीय बजट 2022-23 में 13,30,000 करोड़ रुपये के रूप में निर्धारित किया गया है।

वित्त वर्ष 2021-22: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्रीय निवल अप्रत्यक्ष कर संग्रह [सीमा शुल्क + केंद्रीय उत्पाद शुल्क + सेवा कर (बकाया) + जीएसटी] का संशोधित लक्ष्य केंद्रीय बजट 2022-23 में 12,59,000 करोड़ रुपये के रूप में निर्धारित किया गया है। कुल लक्ष्य में से, अप्रैल-जनवरी, 2021-22 की अवधि के लिए अनंतिम केंद्रीय निवल अप्रत्यक्ष कर संग्रह रु. 10,74,583 करोड़ है। यह वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 10 महीनों में संशोधित लक्षित राजस्व की 85.4% उपलब्धि दर्शाता है।

वित्त वर्ष 2020-21: केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार, केंद्रीय निवल अप्रत्यक्ष कर संग्रह [सीमा शुल्क + केंद्रीय उत्पाद शुल्क + सेवा कर (बकाया) + जीएसटी] वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 10,74,810 करोड़ रुपये है जो कि सं.प्रा. 2020-21 का 108.6% है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अप्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2019-20 की तुलना में 12.7% की वृद्धि दर्शाता है और केंद्र के लिए अप्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात 5.4% है। ”

केंद्रीय अप्रत्यक्ष करों का विस्तृत विवरण अनुबंध VII पर दिया गया है ।

चौदह. विवाद समाधान समिति

केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम (अधिनियम) के तहत कुछ प्रक्रियाओं के लिए सावधानीपूर्वक एक नीति अपनाई है जिसके लिए करदाता के साथ फेसलेस इंटरफेस की आवश्यकता होती है। हालांकि फेसलेस मूल्यांकन प्रक्रिया को एक कुशल परिणाम देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, फिर भी कुछ विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। विवादों से एक करदाता पर अतिरिक्त लागत और अनुपालन संबंधी बोझ पड़ता है। एक छोटे करदाता के मामले में ऐसी लागतें बहुत अधिक होती हैं। विवाद समाधान के लिए विशेष रूप से छोटे करदाताओं के लिए एक नयी व्यवस्था के निर्माण के लिए, 1 अप्रैल, 2021 से वित्त अधिनियम, 2021 के तहत अधिनियम की धारा 245 डक को शामिल किया गया है जिससे करदाता न्यूनतम लागत और कम से कम अनुपालन बोझ के साथ अपने विवादों को हल कर सकता है।

अधिनियम की धारा 245 डकेंद्र सरकार को डीआरसी द्वारा अध्याय XIX-कक के तहत विवाद समाधान के उद्देश्य से आधिकारिक राजपत्र में एक योजना को अधिसूचित करने का अधिकार देती है और केंद्र सरकार को समर्थ बनाती है जिससे कि वह एक अधिसूचना के माध्यम से यह निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान ऐसे अपवादों, आशोधनों और रूपांतरणों जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हैं सहित लागू होंगे या नहीं होंगे। ऐसी योजना को 31 मार्च, 2023 तक अधिसूचित करना आवश्यक है।

केंद्र सरकार विवाद समाधान समितियों के गठन करने और विवाद समाधान के दायरे और प्रक्रिया को रेखांकित करने वाली एक योजना को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में है।

भाग-दो

टिप्पणियाँ/सिफारिशें

1. बजटीय आवंटन और उपयोग (मांग संख्या 35)

समिति नोट करती है कि अनुदान संख्या 35 के अंतर्गत राजस्व विभाग का पूरा बजट प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी मुआवजे के लिए और सचिवालय तथा उससे जुड़े और अधीनस्थ कार्यालयों की स्थापना से संबंधित व्यय के लिए है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बीई, आरई और वास्तविक क्रमशः 203466.73 करोड़ रुपये, 243505.77 करोड़ रुपये और 275429.93 करोड़ रुपये थे, जिसमें 31924.16 करोड़ रुपये (आरई का 113.11%) का अतिरिक्त व्यय था। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आंकड़े क्रमशः 272250.83 करोड़ रुपये (बीई), 272454.75 करोड़ रुपये (आरई) और 268877.95 करोड़ रुपये (वास्तविक) थे, जिसमें 3576.80 करोड़ रुपये (आरई का 98.69%) की बचत हुई थी। वित्त वर्ष 2021-22 में बजट अनुमान को काफी हद तक घटाकर 201512.64 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जिसे आगे कम कर संशोधित अनुमान स्तर पर 209805.42 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जबकि दिसंबर 2021 तक व्यय 119408.42 करोड़ रुपये था, जो कि संशोधित अनुमान का केवल 56.91% है। अब चालू वित्त वर्ष (2022-23) में बजट अनुमान 227552.52 करोड़ रुपये रखा गया है जो निश्चित रूप से पिछले बजट अनुमान से काफी अधिक है। समिति राजस्व विभाग के बजटीय आँकड़ों में इन उतार-चढ़ावों को नोट करते हुए अपने पूर्व प्रतिवेदनों में विभाग की राजकोषीय योजना में बार-बार आने वाली त्रुटि इस आवर्ती दोष को इंगित करती रही है। मंत्रालय नियमित असंतोषजनक स्पष्टीकरण देता रहा है कि आवश्यक/जारी किए गए जीएसटी मुआवजे की मात्रा पूरी तरह से राज्यों द्वारा सम्मिलित कर संग्रह और एसजीएसटी/आईजीएसटी के संग्रह प्रवृत्तियों और वास्तविक जीएसटी मुआवजा उपकर संग्रह पर आधारित है और इसलिए, जीएसटी मुआवजे के उद्देश्य के लिए सटीक बजटीय आवश्यकता अनुमान लगाना संभव नहीं है। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कि ये आंकड़े परिवर्तनशील हैं और जीएसटी परिषद द्वारा तय किए गए आईजीएसटी घटक के कर स्लैब और वितरण पर निर्भर करते हैं, समिति मंत्रालय से इस मांग के तहत बजटीय अनुशासन बनाए रखने के लिए बजटीय अनुमानों को अधिक सटीक और यथार्थवादी रूप से शामिल करने का आग्रह करेगी केंद्र और राज्यों दोनों के लिए शुद्ध जीएसटी संग्रह की मासिक प्रवृत्ति - और प्रत्येक राज्य द्वारा किए गए राजस्व घाटे की मात्रा, मांग संख्या 35 के तहत बजट प्रावधान के बहुमत के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी मुआवजे के लिए है।

2. अनुदान की मांग संख्या 36 - प्रत्यक्ष कर और अनुदान की मांग संख्या 37 - अप्रत्यक्ष कर

मांग संख्या 36 के अंतर्गत, पूरा बजट सीबीडीटी (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) के क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित वेतन/प्रशासनिक खर्चों के लिए है। वित्त वर्ष 2019-20 में, 7338.44 करोड़ रुपये के बीई कोआरई स्तर पर बढ़ाकर 7520.44 करोड़ रुपये कर दिया गया था, जबकि वास्तविक व्यय 7182.72 करोड़ रुपये और वापिस की गयी राशि 244.80 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2020-21 में, बीई को बढ़ाकर 8065.39 करोड़ रुपये कर दिया गया (इस तथ्य के बावजूद कि पिछले वित्त वर्ष में 244.80 करोड़ रुपये वापिस कर दिया गया था) और फिर आरई चरण में 7694.00 करोड़ रुपये तक लाया गया और वास्तविक व्यय 7403.07 करोड़ रुपये था, जिसमें 580.71 करोड़ रुपये की राशि वापिस की गयी थी। वित्त वर्ष 2021-22 में फिर से बीई को बढ़ाकर 8532.34 करोड़ रुपये कर दिया गया था, फिर मामूली रूप से घटाकर 8508.89 करोड़ रुपये कर दिया गया और दिसंबर 2021 तक का व्यय 5424.43 करोड़ रुपये रहा, जिसका अर्थ है कि दिसंबर 2021 तक आरई का केवल 63.75% उपयोग किया गया है।

अब 2022-23 के चालू वित्त वर्ष में बीई को 9308.80 करोड़ रुपये आंका गया है। अप्रत्यक्ष करों से संबंधित अनुदान की मांग संख्या 37 की मांग के संबंध में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बीई, आरई और वास्तविक क्रमशः 7900.50 करोड़ रुपये, 7900.50 करोड़ रुपये और 7535.26 करोड़ रुपये थे और वापिस की गई राशि 110.78 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए तदनुरूपी आंकड़े क्रमशः 8258.50 करोड़ रुपये (बीई), 7582.47 करोड़ रुपये (आरई) और 7384.21 करोड़ रुपये (वास्तविक) थे, और 762.11 करोड़ रुपये आत्मसमर्पण की गई राशि के रूप में दिखाए गए हैं। फिर वित्त वर्ष 2021-22 में बीई को अत्यधिक बढ़ाकर 21359.27 करोड़ रुपये कर दिया गया और आरई को और आगे बढ़ाकर 74398.99 करोड़ रुपये तक कर दिया गया है। 31 दिसंबर 2021 तक कुल व्यय केवल 5940.98 करोड़ रुपये था, जो कि आरई का मामूली 7.93% है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बीई को 41139.17 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जो पिछले वर्ष बीई की तुलना में काफी अधिक है।

समिति उपर्युक्त बजटीय आंकड़ों के विश्लेषण से आबंटित निधियों में इस तरह की भिन्नताओं को नोट करके चिंतित है। जहां एक ओर वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों को वापस किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ब.अ. के आंकड़ों को हर साल बढ़ाकर संशोधित किया जा रहा है। कीमती

और अपर्याप्त निधियों को अवास्तविक अनुमानों के साथ अवरुद्ध कर देना और उन्हें नियमित रूप से उदासीनता पूर्वक वापस करना वित्तीय विवेक के लिए अच्छा संकेत नहीं है। यह राजकोषीय योजना का मूल सिद्धांत है कि मांगी गई राशि यथार्थवादी अनुमानों पर आधारित हो और आवंटित राशि के ब्यय किए गए प्रत्येक रूपए के लिए उत्तरदायी ठहराया जाए। विभाग की वित्तीय योजना के इस पहलू को अस्वीकार करते हुए, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को यथार्थवादी बजट बनाना चाहिए और उसके बाद प्रभावी प्रबंधन और निगरानी के माध्यम से आवंटित निधियों का इष्टतम उपयोग किया जाए।

3. कर बकाया

समिति यह नोट करके चिंतित है कि राजस्व विभाग कर बकाये के दुष्प्रक्र में फंसता दिख रहा है क्योंकि कर बकाया के रूप में 21 लाख करोड़ रुपये (प्रत्यक्ष कर में 18666790 करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष कर में 295438 करोड़ रुपये) से अधिक बकाया राशि है। इसके अलावा, जहां तक प्रत्यक्ष करों में बकाये का संबंध है, मांग का एक बड़ा हिस्सा, जो बकाया मांग का 94% से अधिक है, 'वसूली के लिए कठिन मांग' की श्रेणी में आता है। 295438 करोड़ रुपये में से अप्रत्यक्ष करों के संबंध में 258672 करोड़ रुपये की राशि गैर-संग्रहणीय है, जिसका अर्थ है कि बकाया मांग का लगभग 88% गैर-संग्रहणीय है और इसका केवल 12% वसूली के लिए उपयुक्त है, लेकिन उसे अभी तक वसूल नहीं किया गया है। समिति ने स्वीकार किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान कोविड -19 महामारी के कारण वसूली प्रभावित हुई, क्योंकि चूककर्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों के साथ-साथ वसूली के लिए जबरन कार्रवाई पर प्रतिबंध था। फिर भी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बकाये की राशि की वसूली नहीं होती है जो कर विभाग के प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाता है जिसने कर बकाये को लंबे समय से लंबित छोड़ दिया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कर बकाया वर्ष-दर-वर्ष बढ़ रहा है, समिति समयबद्ध फास्ट ट्रैक तंत्र के माध्यम से बैकलॉग को दूर करने के लिए एक ठोस कार्य-योजना और एक रोडमैप तैयार करने की सिफारिश करती है। समिति को कार्य-योजना और उसकी उपलब्धियों से अवगत करवाया जाए।

4. टैक्स रिफंड और उस पर ब्याज

समिति नोट करती है कि सरकार ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों में रिफंड पर ब्याज सहित बड़ी मात्रा में टैक्स रिफंड किया है। वित्त वर्ष

2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान, प्रत्यक्ष कर के संबंध में, क्रमशः 183619 करोड़ रुपये, 259719.70 करोड़ रुपये और 167598.60 करोड़ रुपये की ब्याज राशि सहित रिफंड किए गए थे। अप्रत्यक्ष कर रिफंड के मामले में, वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 140357 करोड़ रुपये, 128299 करोड़ रुपये और 142463 करोड़ रुपये रिफंड किए गए। समिति इस तरह के भारी व्यय से चिंतित है जो ब्याज सहित धनवापसी के माध्यम से की जा रही है। टैक्स रिफंड का यह मुद्दा सरकारी खजाने के लिए दोहरे खतरे का मामला है। इससे यह आशंका पैदा होती है कि विभाग द्वारा निर्धारितियों को विभाग के राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अतिरिक्त रिफंड की यह प्रथा कर अधिकारियों और निर्धारितियों के बीच मिलीभगत को भी प्रोत्साहित कर सकती है जो विभाग को नुकसान पहुंचा सकती है। रिफंड से जुड़े कारणों और प्रक्रियाओं की पूरी जांच शुरू की जानी चाहिए। चूंकि यह बढ़ती प्रवृत्ति अब राजस्व के लिए बड़े निहितार्थों के साथ एक आम बात हो गई है, इसलिए समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग को इस समस्या से उत्पन्न करने वाले मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और तदनुसार सुधारात्मक उपाय करना चाहिए।

5. तलाशी/सर्वे और जब्ती ऑपरेशन

समिति का यह मत है कि तलाशी और जब्ती ऑपरेशन कर अपवंचन के विरुद्ध और अनुपालन में सुधार के लिए एक प्रभावी निवारक हो सकते हैं। तथापि, इस प्रकार के घुसपैठ ऑपरेशनों से कथित उत्पीड़न को ध्यान में रखते हुए समिति चाहती है कि इन ऑपरेशनों को पर्याप्त सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है कि इन ऑपरेशनों को आरंभ करने से पहले पूरी मेहनत की जानी चाहिए। समिति का यह मत है कि जानबूझकर या आदतन कर अपवंचन करने वालों के विरुद्ध प्रवर्तन कार्रवाई को करते समय, विभाग को करदाताओं को अलग-थलग नहीं करना चाहिए।

समिति नोट करती है कि तलाशी/सर्वे और निर्धारण आदेश पारित करने के बीच एक समय-अंतराल है, जो तलाशी और सर्वे के इच्छित उद्देश्य को निष्फल करता है। समिति आगे यह नोट करती है कि तलाशी/सर्वे और निर्धारण आदेशों को पारित करने के बीच समय-अंतराल के कारण, तलाशी और सर्वे के वास्तविक निष्कर्ष के आंकड़ों को केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। इसलिए, समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि सरकार को इस समय-अंतराल को कम करने का प्रयास करना चाहिए और तलाशी और सर्वे के वास्तविक निष्कर्ष पर

केंद्रीकृत आंकड़ों को भी रखना चाहिए, ताकि इस प्रक्रिया की प्रभावकारिता का आंकलन किया जा सके। समिति इन तलाशी और सर्वे के लिए अधिक विवेक और तर्कसंगतता लाने के अलावा त्वरित निर्धारण आदेशों की सिफारिश करती है, ताकि इसे उत्पीड़न और यहां तक कि भ्रष्टाचार का साधन बनने से रोका जा सके। इन ऑपरेशनों से उचित परिणाम आने चाहिए। इसके अलावा, जब्त किए गए दस्तावेजों की गोपनीयता को सख्ती से बनाए रखा जाना चाहिए और यदि किसी प्रकार की लीकेज होती है या असत्यापित जानकारी का खुलासा प्रेस को किया जाता है, तो अधिकारियों को जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। अनेक व्यक्तिगत करदाताओं ने समिति को प्रस्तुत अभ्यावेदन में बताया कि तलाशी के दौरान राजस्व अधिकारी उन्हें अपराधी मानते हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें रिश्वत के लिए कहा जाता है ताकि तलाशी प्रक्रिया कम कर दी जाए/या समाप्त की जाए। विभाग द्वारा इस तरह की खामियों की जांच की जाए और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध करदाताओं द्वारा गोपनीय शिकायते देने का अवसर दिया जाना चाहिए।

6. अपील मामलों का लंबित होना

समिति लंबित अपीलों के नवीनतम आंकड़ों के संबंध में अत्यधिक चिंतित है, जिसमें लगभग 28 लाख करोड़ रुपये के तदनुरूपी कर प्रभाव (आईटीएटी को छोड़कर) अलग-अलग मंचों पर प्रत्यक्ष करों के संबंध में लगभग 5.6 लाख अपील लंबित हैं। जहां तक अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, 3 लाख करोड़ से अधिक के तदनुरूपी कर प्रभाव के साथ विभिन्न मंचों पर एक लाख से अधिक अपीलें लंबित हैं। इस प्रकार, कुल मिलाकर, विभिन्न मंचों पर 31 लाख करोड़ से अधिक राशि अपीलों में अवरुद्ध है (आईटीएटी रजिस्ट्री ने कहा है कि अपील में कोई कर प्रभाव अवरुद्ध नहीं रखा जाता है)। ऐसे स्पष्ट आंकड़ों के आलोक में, समिति यह सिफारिश करना चाहेगी कि मंत्रालय द्वारा अविलंब सुधारात्मक उपाय किए जाएं, जिसमें मंत्रालय और निर्धारितियों को हल्के और अव्यवहार्य मुकदमेबाजी से रोका जा सके। आयकर विभाग को मनमाने ढंग से कर की मांग या उच्च मांग से भी बचना चाहिए जो परिहार्य कर मुकदमेबाजी को बढ़ावा देता है। इसके अलावा, समिति का सुझाव है कि ज्यादा से ज्यादा मामलों में जहां तक व्यवहार्य हो विभाग के साथ विवादों की मध्यस्थता और निपटान की पहल पर भी भरोसा किया जा सकता है।

7. विवाद निवारण समिति

समिति यह जानकर प्रसन्न है कि सरकार ने आयकर अधिनियम के अंतर्गत कतिपय प्रक्रियाओं को फेसलेस बनाने के लिए एक नीति अपनाई है। हालांकि फेसलेस निर्धारण प्रक्रिया को एक कारगर परिणाम के लिए बनाया गया है, फिर भी कुछ विवाद अभी भी उत्पन्न हो सकते हैं। विवाद एक करदाता के लिए अतिरिक्त लागत और अनुपालन बोझ पैदा करते हैं और इस प्रकार की लागत एक छोटे करदाता के मामले में असमान रूप से अधिक होती है। छोटे करदाताओं के लिए मुकदमेबाजी को कम करने के लिए केंद्रीय बजट 2021-22 में उनके लिए एक विवाद निवारण समिति का प्रस्ताव किया गया था। यह पाया गया है कि घोषणा के एक वर्ष के बाद भी प्रस्तावित समिति का गठन नहीं किया गया है। इसलिए समिति मंत्रालय से विवाद निवारण समिति के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह करती है, क्योंकि इससे छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी जो समिति से संपर्क कर अपने विवादों का निवारण करवा सकते हैं। इससे मामलों की संख्या में कमी आने में भी मदद मिलेगी।

नई दिल्ली;
14 मार्च, 2022
23 फाल्गुन, 1943 (शक)

श्री जयंत सिन्हा
सभापति
वित्त संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध ।

क्रम सं.	योजना	बजट अनुमान 2021-22	संशाधित अनुमान 2021-22			बजट अनुमान 2022-23			योजना का उद्देश्य
			वर्ष के लिए प्रावधान	बकाया के एक मुश्त भुगतान के लिए प्रावधान	कुल	वर्ष के लिए प्रावधान	बकाया के एक मुश्त भुगतान के लिए प्रावधान	कुल	
1	निर्यातित उत्पादों पर शुल्क तथा करों से छूट (आरओडीटीईपी)	13000.00	12454.00	2568.00	15022.00	13699.40	546.00	14245.40	योजना यह सुनिश्चित करेगी कि निर्यातिकों को पहले से गैर वसूलीय अंतर्निहित करों और शुल्कों पर रिफंड प्राप्त हो।
2	राज्य तथा केंद्रीय करों और लेविज से छूट (आरओएससीटीएल)	0	6946.00	5286.00	12232.00	7640.60	0	7640.60	निर्मित वस्तुओं और कपड़ों के निर्यात के लिए सभी अंतर्निहित राज्य और केंद्रीय करों/लेवी में छूट देना।
3	भारत योजना से माल निर्यात (एमईआईएस)	0	0	29599.20	29599.20	0	3288.80	3288.80	निर्यातिकोंको ढांचागत अक्षमताओं और संबद्ध लागतों की भरपाई के लिए पुरस्कार देना।
4	विशेषकृषि और ग्रामउद्योग योजना	0	0	136.15	136.15	0	90.76	90.76	कृषि उपज, ग्राम उद्योग उत्पादों और वन आधारित उत्पादों आदि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उच्च परिवहन लागत की भरपाई और अन्य नुकसान की भरपाई करना।

क्रम सं.	योजना	बजट अनुमान 2021-22	संशाधित अनुमान 2021-22			बजट अनुमान 2022-23			योजना का उद्देश्य
			वर्ष के लिए प्रावधान	बकाया के एक मुश्त भुगतान के लिए प्रावधान	कुल	वर्ष के लिए प्रावधान	बकाया के एक मुश्त भुगतान के लिए प्रावधान	कुल	
5	मोबाइल फोनों के लिए 2 प्रतिशत अतिरिक्त तदर्थ बोनस प्रोत्साहन	0	0	109.80	109.80	0	12.20	12.20	मोबाईल फोनों के निर्यात के लिए बढ़ावा देना।
6	वृद्धिशील निर्यात प्रोत्साहन योजना (वार्षिक और त्रैमासिक)	0	0	82.75	82.75	0	149.90	149.90	वृद्धिशील निर्यात को प्रोत्साहन देना।
7	भारत से सेवा योजना (एसएफआईएस)	0	0	6.66	6.66	0	0.00	0.00	सेवाओं के निर्यात में वृद्धि में तेजी लाने के लिए।
8	भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस)	0	0	6001.20	6001.20	0	4000.80	4000.80	भारत से सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना।

अनुबंध II

क्रम सं.	योजना	बजट अनुमान 2021-22	संशाधित अनुमान 2021-22			बजट अनुमान 2022-23			योजना का उद्देश्य
			वर्ष के लिए प्रावधान	बकाया के एक मुश्त भुगतान के लिए प्रावधान	कुल	वर्ष के लिए प्रावधान	बकाया के एक मुश्त भुगतान के लिए प्रावधान	कुल	
9	लक्ष्य प्लस योजना	0	0	1549.02	1549.02	0	1032.68	1032.68	स्टार एक्सपोर्ट को पुरस्कृत करके नियर्ति में वृद्धि को गति देना।
10	फोकस उत्पाद योजना और बाजार संबंधित उत्पाद योजना	0	0	565.68	565.68	0	377.12	377.12	विशिष्ट बाजार में विशिष्ट उत्पादों के नियर्ति के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना
11	स्टेट्स होल्डर इन्सेन्टिव स्कीम (एसएचआईएस)	0	0	378.90	378.90	0	169.20	169.20	प्रौद्योगिकी के उन्नयन में निवेश को बढ़ावा देना।
12	राज्य लेवी योजना पर छूट (आरओएसएल)	0	0	264.00	264.00	0	66.00	66.00	इस योजना को अब आरओएससीटीएलद्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है
13	फोकस बाजार योजना	0	0	175.27	175.27	0	116.85	116.85	उन बाजारों में देश की नियर्ति प्रतिस्पृष्ठात्मकता बढ़ाने के लिए कुछ विदेशी बाजारों में नियर्ति को प्रोत्साहित करना।
	Total	13000.00	19400.00	46722.63	66122.63	21340.00	9850.31	31190.31	

अनुबंध- III

वर्ष के दौरान जारी जीएसटी मुआवजे का विवरण (वित्त वर्ष-वार)

(रूपये करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2017-18	वित्त वर्ष 2018-19	वित्त वर्ष 2019-20	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	आंध्र प्रदेश	382	0	1841	3527	2501	8252
2	अरुणाचल प्रदेश	15	0	0	6	0	21
3	असम	886	466	879	1370	812	4413
4	बिहार	3041	2571	3525	4359	1557	15053
5	छत्तीसगढ़	1483	2261	3081	3212	1058	11095
6	दिल्ली	157	4182	7436	5522	5136	22432
7	गोवा	252	476	819	813	726	3085
8	गुजरात	3687	6149	10647	11335	6587	38404
9	हरियाणा	1199	2820	5453	5066	2321	16859
10	हिमाचल प्रदेश	539	2037	1877	1764	675	6892
11	जम्मू और कश्मीर	1137	1462	2279	2171	993	8042
12	झारखण्ड	1265	1029	1532	1958	1226	7010
13	कर्नाटक	6246	10754	14497	13789	7158	52445
14	केरल	1772	2884	5575	6721	3091	20044
15	मध्य प्रदेश	2511	2866	4531	5293	2480	17681
16	महाराष्ट्र	1488	8330	15018	17423	14370	56630
17	मणिपुर	24	0	0	22	0	46
18	मेघालय	124	73	101	172	131	602
19	मिजोराम	0	0	0	11	0	11
20	नागालैंड	0	0	0	14.21820	0	14
21	उड़ीसा	2019	3390	3929	4362	1338	15037
22	पुडुच्चेरी	333	592	862	607	260	2654
23	ਪੰਜਾਬ	4037	7129	8805	9694	3495	33160
24	राजस्थान	2598	2176	4440	5633	3005	17851
25	सिक्किम	6	0	0	26	9	42
26	तमिलनाडु	632	3151	8922	11142	6087	29934
27	तेलंगाना	169	0	2263	3103	1689	7225
28	त्रिपुरा	129	155	171	277	82	814
29	उत्तर प्रदेश	2124	308	5180	9324	6692	23627
30	उत्तराखण्ड	1283	2037	2477	2496	1168	9462
31	पश्चिम बंगाल	1608	1977	4359	5776	3655	17375
	कुल	41146	69275	120498.29	136988.4698	78302.80	446211

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जाने वाले लंबित अस्थायी जीएसटी मुआवजा

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अस्थायी जीएसटी मुआवजा	वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अस्थायी जीएसटी मुआवजा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	आंध्र प्रदेश	616	1834
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3	असम	181	549
4	बिहार	388	451
5	छत्तीसगढ़	160	721
6	दिल्ली	1310	5469
7	गोवा	185	832
8	गुजरात	1620	900
9	हरियाणा	588	0
10	हिमाचल प्रदेश	202	109
11	जम्मू और कश्मीर	191	0
12	झारखण्ड	300	1274
13	कर्नाटक	1818	3914
14	केरल	764	2670
15	मध्य प्रदेश	615	2199
16	महाराष्ट्र	3464	11655
17	मणिपुर	0	0
18	मैघालय	32	111
19	मिजोराम	0	0
20	नागालैंड	0	0
21	उडीसा	324	0
22	पुडुचेरी	69	124
23	पंजाब	947	1452
24	राजस्थान	741	663
25	सिक्किम	0	0
26	तमिलनाडु	1491	6733
27	तेलंगाना	317	308
28	त्रिपुरा	19	0
29	उत्तर प्रदेश	1608	6954
30	उत्तराखण्ड	307	745
31	पश्चिम बंगाल	876	4292
	कुल	19134	53961

अनुबंध V

(करोड़ रूपए में)

केन्द्र के लिए जी एस टी (निबल) संग्रह

Months	सो जी एस टी			आई जी एस टी			क्षतिपूते उपकर			कुल जी एस टी		
	2020-21	2021-22	% वृद्धि	2020-21	2021-22	% वृद्धि	2020- 21	2021- 22	% वृद्धि	2020-21	2021-22	% वृद्धि
अप्रैल	5,934	55,458	835%	9,749	4,787	-51%	990	9,187	828%	16,673	69,433	316%
मई	18,961	28,291	49%	9,642	15,340	59%	6,020	8,886	48%	34,624	52,518	52%
जून	30,151	33,696	12%	9,673	6,377	-34%	7,472	6,564	-12%	47,296	46,638	-1%
जुलाइ	37,902	47,901	26%	-6,027	-3,733	-38%	6,816	7,530	10%	38,691	51,699	34%
अगस्त	32,359	53,326	65%	5,198	-16,195	-412%	6,856	8,474	24%	44,414	45,604	3%
सितम्बर	37,172	47,379	27%	-290	-634	119%	6,809	8,489	25%	43,691	55,234	26%
अक्टूबर	42,901	48,547	13%	192	8,970	4562%	7,840	8,220	5%	50,933	65,737	29%
नवम्बर	39,803	49,237	24%	7,611	7,238	-5%	8,029	9,442	18%	55,444	65,917	19%
दिसम्बर	43,040	46,227	7%	12,408	14,635	18%	8,248	9,141	11%	63,696	70,003	10%
जनवरी	44,666	69,662	56%	6,770	-28,989	-528%	8,332	9,477	14%	59,767	50,149	-16%
फरवरी	66,642	-	-	-37,309	-	-	9,349	-	-	38,683	-	-
मार्च	56,804	-	-	-10,367	-	-	8,430	-	-	54,866	-	-
कुल (अप्रैल-मार्च)	456,335	479,725	-	7,251	7,797	-	85,192	85,411	-	548,778	572,933	-

अनुवर्ध VI

SR	ASSESSMENT YEAR	TAX_PAID_SLAB (Advance-Tax+Self-Assessment-Tax+TDS/TCS claimed in ITR)	Total Number ITR filers (ITR-1/2/3/4/5/6/7/8)	Income from Salary/Pension (>0)	Income from House Property (non-zero amount)	HUF_COUNT (PAN category is HUF)	Income From Business/Profession (>0)	PROFESSION (Nature of Business is Professional)	PRESUMPTIVE (submitted ITR-4 with income-from-business > 0)	
			TOTAL_ITRS	SALARY_COUNT	HP_COUNT	HUF_COUNT	BUSINESS_COUNT	PROFESSION_COUNT	ITR4_PRESUMPTIVE_COUNT	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		
1	2018-19	01-TOT_TAX_PAID_GE_0_LE_3L	Total-Tax-Paid >= 0 and <= 3 Lakh	60,356,604	29,057,516	8,034,619	1,135,942	25,608,118	2,209,448	13,787,154
2	2018-19	02-TOT_TAX_PAID_GT_3L_LE_5L	Total-Tax-Paid > 3 Lakh and <= 5 Lakh	1,029,460	678,141	348,821	12,394	344,828	50,981	41,600
3	2018-19	03-TOT_TAX_PAID_GT_5L_LE_10L	Total-Tax-Paid > 5 Lakh and <= 10 Lakh	830,275	534,144	287,896	8,338	292,707	42,286	21,071
4	2018-19	04-TOT_TAX_PAID_GT_10L_LE_20L	Total-Tax-Paid > 10 Lakh and <= 20 Lakh	357,332	195,507	105,126	3,571	155,090	20,700	4,660
5	2018-19	05-TOT_TAX_PAID_GT_20L_LE_50L	Total-Tax-Paid > 20 Lakh and <= 50 Lakh	204,152	96,521	52,875	1,868	101,169	12,941	1,092
6	2018-19	06-TOT_TAX_PAID_GT_50L_LE_100L	Total-Tax-Paid > 50 Lakh and <= 100 Lakh	59,888	23,182	16,180	406	33,439	3,679	107
7	2018-19	07-TOT_TAX_PAID_GT_100L	Total-Tax-Paid > 100 Lakh	52,714	11,590	12,375	252	35,759	3,042	34
TOTAL (All ITRs)			62,890,425	30,596,601	8,857,892	1,162,771	26,571,110	2,343,077	13,855,718	

- Latest eReturns of AY 2018-19 submitted upto 15-Feb-2021 have been taken into consideration.

INDIVIDUALS AND HUF										
SR	ASSESSMENT YEAR	TAX_PAID_SLAB (Advance-Tax+Self-Assessment-Tax+TDS/TCS claimed in ITR)	Total Number of Individuals/HUF submitting ITR-1/2/3/4)	Income from Salary/Pension (>0)	Income from House Property (non-zero amount)	HUF_COUNT (PAN category is HUF)	Income From Business/Profession (>0)	PROFESSION (Nature of Business is Professional)	PRESUMPTIVE (submitted ITR-4 with income-from-business > 0)	
			TOTAL_ITRS	SALARY_COUNT	HP_COUNT	HUF_COUNT	BUSINESS_COUNT	PROFESSION_COUNT	ITR4_PRESUMPTIVE_COUNT	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		
1	2018-19	01-TOT_TAX_PAID_GE_0_LE_3L	Total-Tax-Paid >= 0 and <= 3 Lakh	58,243,560	29,057,516	7,995,657	1,135,927	24,576,686	2,128,726	13,787,154
2	2018-19	02-TOT_TAX_PAID_GT_3L_LE_5L	Total-Tax-Paid > 3 Lakh and <= 5 Lakh	931,306	678,141	342,177	12,393	264,236	44,995	41,600
3	2018-19	03-TOT_TAX_PAID_GT_5L_LE_10L	Total-Tax-Paid > 5 Lakh and <= 10 Lakh	728,342	534,144	280,069	8,334	208,519	35,882	21,071
4	2018-19	04-TOT_TAX_PAID_GT_10L_LE_20L	Total-Tax-Paid > 10 Lakh and <= 20 Lakh	285,088	195,507	98,512	3,571	95,702	16,556	4,660
5	2018-19	05-TOT_TAX_PAID_GT_20L_LE_50L	Total-Tax-Paid > 20 Lakh and <= 50 Lakh	146,254	96,521	47,171	1,868	54,020	9,847	1,092
6	2018-19	06-TOT_TAX_PAID_GT_50L_LE_100L	Total-Tax-Paid > 50 Lakh and <= 100 Lakh	34,828	23,182	13,423	406	13,147	2,569	107
7	2018-19	07-TOT_TAX_PAID_GT_100L	Total-Tax-Paid > 100 Lakh	17,840	11,590	8,372	252	7,357	1,629	34
TOTAL (Individuals/HUF - ITR-1/2/3/4)			60,387,218	30,596,601	8,785,381	1,162,751	25,219,667	2,240,204	13,855,718	

- Latest eReturns of AY 2018-19 submitted upto 15-Feb-2021 have been taken into consideration.

અનુવાદ VI (2/3)

SR	ASSESSMENT YEAR	TAX_PAID_SLAB (Advance-Tax+Self-Assessment-Tax+TDS/TCS claimed in ITR)	Total Number ITR filers (ITR-1/2/3/4/5/6/7)	Income from Salary/Pension (>0)	Income from House Property (non-zero amount)	HUF_COUNT (PAN category is HUF)	Income From Business/Profession (>0)	PROFESSION (Nature of Business is Professional)	PRESUMPTIVE (submitted ITR-4 with income-from-business > 0)	
			TOTAL_ITRS	SALARY_COOUNT	HP_COUNT	HUF_COUNT	BUSINESS_COUNT	PROFESSION_COUNT	ITR4_PRESUMPTIVE_COUNT	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
1	2019-20	01-TOT_TAX_PAID_GE_0_LE_3L	Total-Tax-Paid >= 0 and <= 3 Lakh	66,448,706	31,244,765	8,998,288	1,171,697	28,916,782	957,270	16,911,052
2	2019-20	02-TOT_TAX_PAID_GT_3L_LE_5L	Total-Tax-Paid > 3 Lakh and <= 5 Lakh	1,178,877	784,632	404,544	13,491	384,714	29,500	48,491
3	2019-20	03-TOT_TAX_PAID_GT_5L_LE_10L	Total-Tax-Paid > 5 Lakh and <= 10 Lakh	979,595	643,017	343,611	9,245	333,200	28,941	24,518
4	2019-20	04-TOT_TAX_PAID_GT_10L_LE_20L	Total-Tax-Paid > 10 Lakh and <= 20 Lakh	422,183	238,194	123,069	3,889	176,779	17,770	4,453
5	2019-20	05-TOT_TAX_PAID_GT_20L_LE_50L	Total-Tax-Paid > 20 Lakh and <= 50 Lakh	235,552	114,752	61,106	2,006	113,117	12,196	64
6	2019-20	06-TOT_TAX_PAID_GT_50L_LE_100L	Total-Tax-Paid > 50 Lakh and <= 100 Lakh	69,398	27,660	18,700	435	38,189	3,888	8
7	2019-20	07-TOT_TAX_PAID_GT_100L	Total-Tax-Paid > 100 Lakh	59,943	13,628	14,364	264	40,252	3,186	2
		TOTAL (All ITRs)	69,394,254	33,066,648	9,963,682	1,201,027	30,003,033	1,052,751	16,988,588	
- Latest eReturns of AY 2018-19 submitted upto 15-Feb-2021 have been taken into consideration.										
INDIVIDUALS AND HUF										
SR	ASSESSMENT YEAR	TAX_PAID_SLAB (Advance-Tax+Self-Assessment-Tax+TDS/TCS claimed in ITR)	Total Number of Individuals/HUF submitting ITR-1/2/3/4)	Income from Salary/Pension (>0)	Income from House Property (non-zero amount)	HUF_COUNT (PAN category is HUF)	Income From Business/Profession (>0)	PROFESSION (Nature of Business is Professional)	PRESUMPTIVE (submitted ITR-4 with income-from-business > 0)	
			TOTAL_ITRS	SALARY_COOUNT	HP_COUNT	HUF_COUNT	BUSINESS_COUNT	PROFESSION_COUNT	ITR4_PRESUMPTIVE_COUNT	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	
1	2019-20	01-TOT_TAX_PAID_GE_0_LE_3L	Total-Tax-Paid >= 0 and <= 3 Lakh	64,216,418	31,244,765	8,957,671	1,171,697	27,870,940	876,959	16,911,052
2	2019-20	02-TOT_TAX_PAID_GT_3L_LE_5L	Total-Tax-Paid > 3 Lakh and <= 5 Lakh	1,073,557	784,632	397,359	13,491	298,822	23,010	48,491
3	2019-20	03-TOT_TAX_PAID_GT_5L_LE_10L	Total-Tax-Paid > 5 Lakh and <= 10 Lakh	868,399	643,017	335,222	9,245	242,053	22,025	24,518
4	2019-20	04-TOT_TAX_PAID_GT_10L_LE_20L	Total-Tax-Paid > 10 Lakh and <= 20 Lakh	342,755	238,194	115,768	3,889	111,695	13,218	4,453
5	2019-20	05-TOT_TAX_PAID_GT_20L_LE_50L	Total-Tax-Paid > 20 Lakh and <= 50 Lakh	172,058	114,752	54,794	2,006	61,485	8,790	64
6	2019-20	06-TOT_TAX_PAID_GT_50L_LE_100L	Total-Tax-Paid > 50 Lakh and <= 100 Lakh	41,287	27,660	15,623	435	15,430	2535	8
7	2019-20	07-TOT_TAX_PAID_GT_100L	Total-Tax-Paid > 100 Lakh	21,025	13,628	9,931	264	8,644	1628	2
		TOTAL (Individuals/HUF - ITR-1/2/3/4)	66,735,499	33,066,648	9,886,368	1,201,027	28,609,069	948,165	16,988,588	
- Latest eReturns of AY 2018-19 submitted upto 15-Feb-2021 have been taken into consideration.										

अनुवर्ध VI (3/3)

SR	ASSESSMENT YEAR	TAX_PAID_SLAB (Advance-Tax+Self-Assessment-Tax+TDS/TCS claimed in ITR)	Total Number ITR filers (ITR-1/2/3/4/5/6/7)	Income from Salary/Pension (>0)	Income from House Property (non-zero amount)	HUF_COUNT (PAN category is HUF)	Income From Business/Profession (>0)	PROFESSION (Nature of Business is Professional)	PRESUMPTIVE (submitted ITR-4 with income-from-business > 0)	
			TOTAL_ITRS	SALARY_COUNT	HP_COUNT	HUF_COUNT	BUSINESS_COUNT	PROFESSION_COUNT	ITR4_PRESUMPTIVE_COUNT	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		
1	2020-21	01-TOT_TAX_PAID_GE_0_LE_3L	Total-Tax-Paid >= 0 and <= 3 Lakh	63,868,597	29,224,003	8,649,584	1,171,371	28,585,671	823,038	17,433,184
2	2020-21	02-TOT_TAX_PAID_GT_3L_LE_5L	Total-Tax-Paid > 3 Lakh and <= 5 Lakh	1,293,848	880,193	446,208	14,607	400,777	30,301	53,297
3	2020-21	03-TOT_TAX_PAID_GT_5L_LE_10L	Total-Tax-Paid > 5 Lakh and <= 10 Lakh	1,089,087	734,989	383,379	9,844	350,313	31,157	28,679
4	2020-21	04-TOT_TAX_PAID_GT_10L_LE_20L	Total-Tax-Paid > 10 Lakh and <= 20 Lakh	465,330	271,701	135,251	4,143	185,892	19,460	5,615
5	2020-21	05-TOT_TAX_PAID_GT_20L_LE_50L	Total-Tax-Paid > 20 Lakh and <= 50 Lakh	256,209	130,385	64,935	2,062	117,753	13,359	95
6	2020-21	06-TOT_TAX_PAID_GT_50L_LE_100L	Total-Tax-Paid > 50 Lakh and <= 100 Lakh	71,188	28,930	19,108	411	38,088	3,908	7
7	2020-21	07-TOT_TAX_PAID_GT_100L	Total-Tax-Paid > 100 Lakh	63,203	16,160	15,403	276	40,561	3,439	3
TOTAL (All ITRs)			67,107,462	31,286,361	9,713,868	1,202,714	29,719,055	924,662	17,520,880	

- Latest eReturns of AY 2020-21 submitted upto 31-May-2021 have been taken into consideration.

INDIVIDUALS AND HUF										
SR	ASSESSMENT YEAR	TAX_PAID_SLAB (Advance-Tax+Self-Assessment-Tax+TDS/TCS claimed in ITR)	Total Number of Individuals/HUF submitting ITR-1/2/3/4	Income from Salary/Pension (>0)	Income from House Property (non-zero amount)	HUF_COUNT (PAN category is HUF)	Income From Business/Profession (>0)	PROFESSION (Nature of Business is Professional)	PRESUMPTIVE (submitted ITR-4 with income-from-business > 0)	
			TOTAL_ITRS	SALARY_COUN	HP_COUNT	HUF_COUNT	BUSINESS_COUNT	PROFESSION_COUNT	ITR4_PRESUMPTIVE_COUNT	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		
1	2020-21	01-TOT_TAX_PAID_GE_0_LE_3L	Total-Tax-Paid >= 0 and <= 3 Lakh	61,584,650	29,224,003	8,609,084	1,171,371	27,545,460	743,375	17,433,184
2	2020-21	02-TOT_TAX_PAID_GT_3L_LE_5L	Total-Tax-Paid > 3 Lakh and <= 5 Lakh	1,185,369	880,193	438,762	14,607	313,836	23,706	53,297
3	2020-21	03-TOT_TAX_PAID_GT_5L_LE_10L	Total-Tax-Paid > 5 Lakh and <= 10 Lakh	973,613	734,989	374,571	9,844	256,961	24,044	28,679
4	2020-21	04-TOT_TAX_PAID_GT_10L_LE_20L	Total-Tax-Paid > 10 Lakh and <= 20 Lakh	383,698	271,701	127,911	4,143	119,589	14,720	5,615
5	2020-21	05-TOT_TAX_PAID_GT_20L_LE_50L	Total-Tax-Paid > 20 Lakh and <= 50 Lakh	190,910	130,385	58,259	2,062	65,031	9,987	95
6	2020-21	06-TOT_TAX_PAID_GT_50L_LE_100L	Total-Tax-Paid > 50 Lakh and <= 100 Lakh	42,887	28,930	16,072	411	15,371	2540	7
7	2020-21	07-TOT_TAX_PAID_GT_100L	Total-Tax-Paid > 100 Lakh	24,104	16,160	10,970	276	9,112	1812	3
TOTAL (Individuals/HUF - ITR-1/2/3/4)			64,385,231	31,286,361	9,635,629	1,202,714	28,325,360	820,184	17,520,880	

- Latest eReturns of AY 2020-21 submitted upto 31-May-2021 have been taken into consideration.

अनुबंध VII

करोड़ रुपये में

	वित्तीय वर्ष 2020-21के लिए संशोधित लक्ष्य	वि.व. 2020-21के लिए वास्तविक संग्रह	प्राप्त लक्ष्य का प्रतिशत	वित्तीय वर्ष 2020- 21के लिए संशोधित लक्ष्य	वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक संग्रह (अप्रैल-जनवरी)	जनवरी 2022 तक प्राप्त लक्ष्य का प्रतिशत	वि.व. के लिए लक्ष्य 2022-23 (ब.प्रा.)
सीमा शुल्क	1,12,000	1,34,750	120%	1,89,000	1,67,821	89%	2,13,000
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	3,61,000	3,89,667	108%	3,94,000	3,33,174	85%	3,35,000
एसटी (बकाया)	1,400	1,615	115%	1,000	656	66%	2,000
कुल (गैर- जीएसटी)	4,74,400	5,26,032	111%	5,84,000	5,01,651	86%	5,50,000
सीजीएसटी	4,31,000	4,56,334	106%	5,70,000	4,79,725	84%	6,60,000
आईजीएसटी	-	7,251	-	-	7,797	-	-
जीएसटी-कॉम्प. उपकर	84,100	85,192	101%	1,05,000	85,411	81%	1,20,000
कुल (जीएसटी)	5,15,100	5,48,777	107%	6,75,000	5,72,933	85%	7,80,000
कुल निवल [जीएसटी+गैर- जीएसटी]	9,89,500	10,74,810	109%	12,59,000	10,74,584	85%	13,30,000

नोट: वर्ष 2021-22 के लिए अभी दो महीने शेष हैं, इसलिए लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेखांकन प्रक्रिया को संशोधित किया गया है, तदनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 से सीमा शुल्क में स्क्रिप.के माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क भी शामिल है।

वित्त संबंधी स्थायी समिति (2021-22) की तेरहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश
समिति की बैठक सोमवार, 14 मार्च, 2022 को 1500 बजे से 1630 बजे तक
समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री जयंत सिन्हा

सभापति

लोक सभा

2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री सुभाष चंद्र बहेड़िया
4. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे
5. डॉ. सुभाष रामराव भामरे
6. श्रीमती सुनीता दुग्गल
7. श्री मनोज कोटक
8. श्री रवि शंकर प्रसाद
9. श्री गोपाल शेट्टी
10. श्री मनीष तिवारी
11. श्री राजेश वर्मा

राज्य सभा

12. श्री सुशील कुमार मोदी
13. श्री ए. नवनीतकृष्णन
14. श्री प्रफुल्ल पटेल
15. डॉ. अमर पटनायक
16. श्री महेश पोद्धार
17. श्री जी.वी.एल. नरसिंहा राव

सचिवालय

- | | | |
|-------------------------------|---|--------------|
| 1. श्री सिद्धार्थ महाजन | - | संयुक्त सचिव |
| 2. श्री रामकुमार सूर्यनारायणन | - | निदेशक |
| 3. श्री कुलमोहन सिंह अरोड़ा | - | अपर निदेशक |
| 4. श्री ख. गिनलाल चुंग | - | उप सचिव |

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् समिति ने निम्नवत् प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया और उन्हें स्वीकार किया:-
- (एक) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, व्यय, वित्तीय सेवाएं, लोक उद्यम तथा निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग) के अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में समिति का यह चालीसवां प्रतिवेदन
- (दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में समिति का यह इकतालीसवां प्रतिवेदन
- (तीन) कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह बयालीसवाँ प्रतिवेदन
- (चार) योजना मंत्रालय के अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में समिति का यह तैतालीसवां प्रतिवेदन
- (पांच) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति का यह चवालीसवां प्रतिवेदन
3. समिति ने कुछ चर्चा के पश्चात् अनुदानों की मांगें (2022-23) के संबंध में चालीस से चवालीस प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उन्हें सभा में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया। समिति ने 'द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स एंड द कंपनी सेक्रेटरीज (संशोधन) बिल, 2021' पर प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार करना स्थगित कर दिया, क्योंकि सदस्यों ने विधेयक से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए कुछ और समय मांगा।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।